संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार सिंघम टाइम्स पृष्ठ 11 दिनांक 24/03/2021

धर्म ध्वजा यात्रा के 73 दिवस पूर्ण हुए, किन्तु नहीं हो सका तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य

तुषार शर्मा @ रतलाम

अमृत सागर तालाब के सौंदर्यकरण के लिए कई अभियान चलाए गए किन्तु फिर भी कार्य शुरू नहीं हो सका उसमें से भी एक यह एक अनूठी मुहिम है जो लगातार 73 दिवस से निरंतर चल रहा है। परंतु अभी तक तालाब के सौंदर्यकरण के लिए कार्य शुरू नहीं हो सका है।

तालाब सौंदर्यकरण के लिए कुछ पिछले माह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घोषणा की है किन्तु अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ।

जानकारी देते हुए धर्म ध्वजा यात्रा के संयोजक सत्यनारायण शर्मा सत्तू पहलवान ने बताया कि प्रतिदिन प्रातः 7 बजे तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए कार्तिक अखाड़े के पहलवान एवं जनता हाथो में धर्म ध्वजा लेकर अमृत सागर तालाब के 3 चक्कर लगाते है। ओर जब तक तालाब सौंदर्यकरण नहीं हो जाता एवं भव्य शिवजी की मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती है तब तक यह धर्म ध्वजा यात्रा का अभियान निरंतर चलता रहेगा।

वीर शहीदों के बलिदान दिवस पर किया गया माल्यार्पण

रतलाम। दीनदयाल नगर स्थित पानी की टंकी के पीछे भगत सिंह उद्यान में वीर शहीदों के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल के गढ़ कैलाश प्रखंड के द्वारा शहीद ए आजम भगत सिंह की मूर्ति पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर वरिष्ठ हिन्दू नेता एवं पूर्व संयोजक राम बाबू शर्मा, जिला विद्यार्थी प्रमुख गौरव शर्मा, जिला सुरक्षा प्रमुख योगेश चौहान, गढ़ कैलाश प्रखंड के संयोजक आशु टांक मंत्री योगेश रेंगर, सह मंत्री शुभम शर्मा, सह संयोजक विशाल राठौर विद्यार्थी प्रमुख शुभम सैन धर्म प्रचार प्रमुख शुभम चौहान, एवं खंड से दीपक, आकाश, उतम, शिवा, जीजू, महेश, कपिल, जतिन, शुभम एवं खंड प्रखंड के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सिंघम 24

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– दै. भास्कर –पृष्ठ 16 दिनांक 25/03/2021

2 हजार वर्गफीट से छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे कॉलोनाइजर

अवैध कॉलोनियों पर लगाम कसने के लिए कलेक्टर का फैसला

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जिले में अब 2000 वर्गफीट से छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं होगी। भूमाफिया सारे नियमों को ताक में रखकर छोटे भूखंडों पर बिना अनुमति और विकास कार्य किए कॉलोनियों विकसित कर देते हैं।

भूमाफिया तो तगड़ा मुनाफा कमाकर अलग हो जाते हैं। बाद में परेशानी रहवासियों और नगरीय निकाय को होती है। इस गोरखधंधे को रोकने के लिए कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। उन्होंने 2000 वर्गफीट से छोटे भूखंडों के दस्तावेजों के पंजीयन रोक लगा दी है। इस संबंध में कलेक्टर ने जिला पंजीयक को आदेश भी जारी कर दिए हैं।

25 कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई की तैयारी

उधर नगर निगम मंगलवार को डोंगरा क्षेत्र में बनी रही ऐसी ही एक कॉलोनी पर कार्रवाई कर चुका है। इसके अलावा ऐसी अवैध कॉलोनियों बना रहे 25 कॉलोनाइजरों को नोटिस भी जारी किए हैं।

■ जानकारी मिली थी कि जिले में छोटे भूखंडों का विक्रय कॉलोनी विकास की औपचारिकता पूरी किए बिना किया जा रहा था। वह भी बिना अनुमति के। इसलिए 2000 वर्ग फीट से छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई है। अवैध कॉलोनाइजरों पर भी कार्रवाई करेंगे।
गोपालचंद्र डाड, कलेक्टर

2000 वर्गफीट से कम के अवैध भूखंडों की नहीं होगी रजिस्ट्री

कलेक्टर ने जिला पंजीयक को जारी किए आदेश

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। कृषि भूमि को कालोनी नियमों में विकसित करने की बजाय सीधे छोटे-छोटे भूखंड काटकर अवैध कालोनी बसाने को लेकर जिला प्रशासन अब सख्त हो रहा है। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने जिला पंजीयक को आदेश जारी कर ऐसी भूमियों के 2000 या उससे कम वर्गफीट के भूखंडों की रजिस्ट्री नहीं करने के लिए कहा है। इस आदेश के बाद जिले व शहर में अवैध कालोनी काटने वालों में हलचल मची हुई है।

दरअसल कालोनी विकसित करने के लिए नगर निगम या संबंधित निकाय, पंचायत से अनुमति लेने के साथ ही विकास निधि जमा कर बुनियादी सुविधाओं के सभी प्रविधान करना पड़ते हैं। इससे बचने के लिए अभी शहर की नगर निगम सीमा व उससे लगे प्रमुख

गांवों में काटेज के नाम पर एक हजार से लेकर दस हजार फीट तक के भूखंड बेचे जा रहे हैं। इसमें सिर्फ सड़क बनाकर छोड़ दी जाती है। नगर निगम ने गत दिवस 25 कालोनाइजरों को अवैध कालोनी के संबंध में नोटिस जारी किया है। अब कलेक्टर के आदेश के बाद कार्रवाई की संभावना बन गई है। इससे पहले भी वर्ष 2010 में तत्कालीन कलेक्टर राजेंद्र शर्मा ने भी 5000 वर्गफीट से कम क्षेत्रफल वाले कृषि भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई थी।

मेरी सुरक्षा - मेरा मास्क अभियान को जन अभियान बनाने के लिये मास्क वितरण और दुकानों के सामने गोले बनाये

रतलाम। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आव्हा न पर आज प्रातः 11ः00 बजे सायरन-कि आवाज के साथ म.प्र. जन अभियान परिषद जिला रतलाम कि नवांकुर संस्थान प्रगति नेचुरल एण्डअ सोशल डव्लपपमेंट सोसायटी रतलाम के द्वारा अलकापुरी चौराहे रतलाम पर मेरी सुरक्षा– मेरा मास्क अभियान को जन अभियान बनाने के लिये करते हुए हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग करने हेतु समझाईश दी गयी तथा बिना मास्कत गुजरने वालों को निःशुल्कर मास्कय वितरित किये गये, सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये दुकानों के आगे गोले बनवाये गये । म.प्र. जन अभियान परिषद के जिला समन्वुयक रत्नेश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से मुक्ति के लिये जागरूकता अभियान कि शुरूआत हुई इस अभियान को सफल बनाने के लिये हर नागरिक को मेरी सुरक्षा ङ्क मेरा मास्कस अभियान से जुडकर जिलें को कोरोना मुक्त बनाने के लिये मास्कभ पहनना और सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करें। इस अवसर पर परिषद के जिला समन्व यक रत्नेश विजयवर्गीय, समाजसेवी राकेश मिश्रा, सचिन तिवारी, राकेश पांचाल, संस्थार अध्यशक्ष शैलेन्द्रन सिसौदिया, बब्लू, रंजीत, मितेश जैन, सुमित, कमलेश, कपिल, रियाज अहमद, सरदार कछावा, थिलु दरबार, अन्नु, करण, पंकज, आदि ने उपस्थित रहे।

सायरन की आवाज के साथ कोरोना के विरुद्ध जनजागृति का संदेश दिया मास्क अनिवार्य है

रतलाम । वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाते हुए मंगलवार से रतलाम जिले में भी विशेष जागरूकता अभियान शुरू हुआ। प्रातः 11 बजे वाहनों से सायरन के साथ सभी 2 मिनट के लिए रुके और कोरोना के विरुद्ध जनजागरण का संकल्प लिया।

जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं आमजनों ने मास्क लगाकर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े होकर जिलेवासियों को संदेश दिया कि वैश्विक महामारी कोरोना फिर से पाँव पसार रही है इसलिए खुद भी मास्क लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। साथ ही सदैव एक-दूसरे से दो गज की दूरी बनाएं रखें और अपने हाथों को नियमित रूप से सेनेटाइज करें अथवा साबुन से धोते रहें।

कोरोना के खात्मे के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएँ। आयोजित हुए जनजागरण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण तथा कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री इंद्रजीत बाकलवार, एसडीएम श्री अभिषेक गहलोत, सीएसपी श्री हेमंत चौहान, तहसीलदार श्रीमती अनीता चोकोटिया, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री मनोज झालानी सहित अन्य अधिकारी एवं शहरवासी मौजूद थे।

इस अवसर प्रशासनिक अधिकारियों ने रतलाम शहर के डालूमोदी बाजार, माणकचौक, बजाज खाना, तोपखाना इत्यादि क्षेत्रों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किये। साथ ही उन्हें समझाया कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना नितांत जरूरी है। डालूमोदी बाजार में दाल बाटी की दुकान के सामने कलेक्टर तथा एसपी द्वारा अन्नपूर्णा दाल बाटी सेंटर पर पेंट से गोल घेरे अपने हाथों से बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दिया गया। इसी दुकान के संचालक से बगैर मास्क पाए जाने पर पेनल्टी वसूली गई। दुकानदारों को सलाह दी गई कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना कारोबार करें। साथ ही खुद भी मास्क लगाएं और ग्राहकों के भी लगवाएँ।

प्रदेश में अब सात शहरों में रविवार को लॉकडाउन

शबे बारात, ईस्टर, होली पर लोगों के एकत्र होने पर रोक

भोपाल, (आरएनएन)। मध्य प्रदेश में कोविड 19 की गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अनुसार जिन जिलों में 20 से ज्यादा केस होंगे, वहां पाबंदियां बढ़ाई जाएगी । अब इंदौर, भोपाल और जबलपुर के साथ बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम में भी आगामी आदेश तक हर रविवार को लॉक डाउन रहेगा। बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।

आने वाले त्योहार शबे बारात, ईस्टर, होली पर लोगों के एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि क्राइसेस मैनेजमेंट की बैठक सभी धर्म के लोगों के साथ करें। बैठक में बताया गया कि कोरोना के इलाज में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में बिस्तरों की संख्या समुचित है। जरूरत पड़ेगी तो वह संख्या और बढ़ाई जाएगी। बैठक में अवैध कालोनियों को वैध करने का फैसला लिया गया।

वहीं अवैध कालोनियों को काटने वालों पर होगी कार्रवाई। इसमें 7 साल की सजा 10 लाख तक का जुर्माना व कालोनाइजर की संपत्ति कुर्क कर उस कॉलोनी का विकास करवाया जाएगा। कॉलोनी बनाने की अनुमति देने वाले अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई।

मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान अंतर्गत किए मास्क वितरित किए

रतलाम ● मप्र जन अभियान परिषद जिला रतलाम की नवांकुर संस्था प्रगति नेचुरल एंड सोशल डेव्हलपमेंट सोसायटी द्वारा अलकापुरी चौराहे रतलाम पर मेरी सुरक्षा- मेरा मास्क अभियान को जन अभियान बनाने के लिए करते हुए हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग करने हेतु समझाइश दी गई तथा बिना मास्क गुजरने वालों को निःशुल्क मास्क वितरित किए गए।

इस अवसर पर परिषद के जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय, समाजसेवी राकेश मिश्रा, सचिन तिवारी, राकेश पांचाल, संस्था अध्यक्ष शैलेन्द्र सिसौदिया, बब्लू, रंजीत, मितेश जैन, सुमित, कमलेश, कपिल, रियाज अहमद, सरदार कछावा, चिंतु दरबार, अन्नू, करण, पंकज, आदि ने उपस्थित रहे।

सायरन की आवाज के साथ कोरोना के विरुद्ध जनजागृति का संदेश दिया मास्क अनिवार्य है

कलेक्टर व एसपी ने सड़कों पर आकर बगैर मास्क पहने व्यक्तियों को समझाईश दी, पेनल्टी भी वसूली, मास्क भी दिए

रतलाम। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाते हुए मंगलवार से रतलाम जिले में भी विशेष जागरूकता अभियान शुरू हुआ। प्रातः 11 बजे वाहनों से सायरन के साथ सभी 2 मिनट के लिए रुके और कोरोना के विरुद्ध जनजागरण का संकल्प लिया। जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं आमजनों ने मास्क लगाकर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े होकर जिलेवासियों को संदेश दिया कि वैश्विक महामारी कोरोना फिर से पाँव पसार रही है इसलिए खुद भी मास्क लगाएं-और दूसरों को भी प्रेरित करें। साथ ही सदैव एक-दूसरे से दो गज की दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को नियमित रूप से सेनेटाइज करें अथवा साबुन से धोते रहें। कोरोना के खात्मे के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं।

आयोजित हुए जनजागरण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण तथा कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बाकलवार, एसडीएम अभिषेक गहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान, तहसीलदार श्रीमती अनीता चोकोटिया, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष मनोज झालानी सहित अन्य अधिकारी एवं शहरवासी मौजूद थे।

इस अवसर प्रशासनिक अधिकारियों ने रतलाम शहर के डालूमोदी बाजार, माणकचौक, बजाज खाना, तोपखाना इत्यादि क्षेत्रों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किये। साथ ही उन्हें समझाया कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना नितांत जरूरी है। डालूमोदी बाजार में दाल बाटी की दुकान के सामने कलेक्टर तथा एसपी द्वारा अन्नपूर्णा दाल बाटी सेंटर पर पेंट से गोल घेरे अपने हाथों से बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दिया गया। इसी दुकान के संचालक से बगैर मास्क पाए जाने पर पेनल्टी वसूली गई। दुकानदारों को सलाह दी गई कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना कारोबार करें साथ ही खुद भी मास्क लगाएं और ग्राहकों के भी लगवाएं। कलेक्टर बाजार की विभिन्न दुकानों में पहुंचे और दुकान संचालकों से चर्चा करते हुए मास्क लगाने की समझाईश दी। कलेक्टर तथा एसपी द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा, बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में पहुंचकर प्रबंधकों, कर्मचारियों को मास्क पहनने की समझाईश दी गई। बैंक ऑफ इंडिया में 3 कर्मचारियों तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में 2 कर्मचारियों द्वारा मास्क नहीं पहनने जाने पर उनसे पेनल्टी वसूली की गई। बाजार से गुजरते मैजिक वाहनों को चेक किया जाकर उनमें बगैर मास्क पहने पाए जाने पर दो मैजिक वाहनों से पांच सौ रुपए पेनल्टी वसूली की गई। एक मैजिक वाहन जप्त भी किया गया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की पहल पर कोरोना के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान शुरू किया गया है।

कोरोना के विरुद्ध जनजागरूकता लिए कलेक्टर, एसपी आए मैदान में

रतलाम। जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सोमवार से कलेक्टर गोपालचंद्र डाड तथा पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी स्वयं मैदान में आए। वाहनों से सायरन बजे और जहां भी बगैर मास्क पहने व्यक्ति पाए गए कलेक्टर श्री डाड एवं एसपी श्री तिवारी द्वारा उनके चालान स्थल पर खड़े रहकर बनवाए गए, पेनल्टी वसूली गई तथा 2-2 मास्क प्रदान किए गए। इस दौरान कलेक्टर द्वारा जहां भी वाहनों पर सवार व्यक्तियों को बगैर मास्क के देखा गया अमले को निर्देशित कर उनको लाया जाकर चालान काटे गए। कलेक्टर, एसपी, अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम द्वारा सैलाना बस स्टैंड, रिलायंस पेट्रोल पंप इत्यादि स्थानों पर चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही समझाईश भी दी गई।

रिलायंस पेट्रोल पंप संचालक पर 5 हजार रूपए का जुर्माना– कलेक्टर श्री डाड द्वारा रिलायंस पेट्रोल पंप पर निरीक्षण के दौरान ग्राहकों तथा कर्मचारियों को बगैर मास्क के पाया गया, कलेक्टर ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए पेट्रोल पंप संचालक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया। साथ ही बगैर मास्क पहने कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क प्रदान किए गए।

इन्दौर 24

मेरी सुरक्षा - मेरा मास्क अभियान को जन अभियान बनाने के लिये मास्क वितरण और दुकानों के सामने गोले बनाये

रतलाम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आव्हान पर आज प्रातः 11 बजे सायरन कि आवाज के साथ म.प्र. जन अभियान परिषद जिला रतलाम कि नवांकुर संस्था प्रगति नेचुरल एण्ड सोशल डवलपमेंट सोसायटी रतलाम के द्वारा अलकापुरी चौराहे रतलाम पर मेरी सुरक्षा-मेरा मास्क अभियान को जन अभियान बनाने के लिये करते हुए हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग करने हेतु समझाईश दी गयी तथा बिना मास्क गुजरने वालों को निःशुल्क मास्क वितरित किये गये, सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये दुकानों के आगे गोले बनवाये गये।

म.प्र. जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से मुक्ति के लिये जागरूकता अभियान कि शुरूआत हुई इस अभियान को सफल बनाने के लिये हर नागरिक को मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान से जुड़कर जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिये मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करें।

इस अवसर पर परिषद के जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय, समाजसेवी राकेश मिश्रा, सचिन तिवारी, राकेश पांचाल, संस्था अध्यक्ष शैलेन्द्र सिसौदिया, कल्लु, रंजीत, मितेश जैन, सुमित, कमलेश, कपिल, रियाज अहमद, सरदार कलश्वा, थिलु दरबार, अनु, करण, पंकज आदि ने उपस्थित रहे।

विधायक काश्यप के प्रयासों से सूरजमल जैन नगर का नगर निगम में होगा हस्तांतरण

गृह निर्माण मंडल ने 1 करोड़ 51 लाख का चेक सौंपा

रतलाम। विधायक चेतन्य काश्यप के निरंतर प्रयासों से तीन दशकों पूर्व अस्तित्व में आई सूरजमल जैन नगर कालोनी के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल ने अपनी इस कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए नगर निगम को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपकर हस्तांतरण अनुबंध कर लिया है। कॉलोनी के इस हस्तांतरण से 450 से अधिक रहवासी परिवारों को लाभ होगा।

गृह निर्माण मंडल द्वारा विकसित यह कालोनी वर्ष 1990 के बाद अस्तित्व में आई थी। इसके बाद इसमें धीरे.धीरे विकास कार्य किए गए। लेकिन नगर निगम में कालोनी का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था। विधायक चेतन्य काश्यप आरंभ से इस कालोनी में निवासरत लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रयासरत रहे। उन्होंने गृह निर्माण मंडल एवं नगर निगम अधिकारियों से चर्चा कर कालोनी हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करवाया। इसके परिणामस्वरूप गृह निर्माण मंडल कॉलोनी के ए ब्लाक में सड़कए सीवरेजए ड्रेनेजए पानीए सेफ्टी टेंक एवं गार्डन आदि के कार्यों हेतु राशि देने को तैयार हो गया।

मंडल के अधिकारियों द्वारा नगर निगम अधिकारियों को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपे जाने के बाद विधायक काश्यप की उपस्थिति में बैठक हुई। इसमें कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए बनी कार्य योजना पर विचार कर जल्द निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए गए। ज्ञातव्य है कि तीन ब्लाकों में बटी इस कालोनी के बी एवं सी ब्लाक में समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा ए ब्लाक में ही विकास कार्य किए जाने है। गृह निर्माण मंडल द्वारा कालोनी में कुल 457 भूखण्ड एवं भवन विकसित किए गए हैं। गृह निर्माण मंडल में वर्ष 2017 में विकास कार्य पूर्ण कर हस्तांतरण की पहल की थी लेकिन निगम विकसित ब्लाकों का हस्तांतरण ही करने पर राजी हुआ था। श्री काश्यप के प्रयासों से शेष कार्यों की राशि मिलने पर नगर निगम पूरी कालोनी का हस्तांतरण करने पर राजी हुआ।

कॉलोनी हस्तांतरण के लिए गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन यंत्री एमण्केण् गुप्ता ने नगर निगम के सीटी इंजीनियर सुरेश व्यास को चेक सौंपा। इस दौरान गृह निर्माण मंडल के सहायक यंत्री एण्आरण् मिस्त्रीए सब इंजीनियर व्हीण्एसण् सिसोदियाए बीण्एसण् राठोरए अशोक कुमार पांचालए नगर निगम के कार्यपालन यंत्री जीण्केण् जायसवालए सहायक यंत्री श्याम सोनी आदि मौजूद रहे।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के बहाने सक्रिय हुआ नगर निगम

रतलाम। नगर निगम का अमला इन दिनों अपेक्षा से अधिक सक्रिय हो गया है। इसका कारण स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया सहित पूरा स्वास्थ्य अमला मैदान में दिखाई दे रहा है। सर्वेक्षण के लिए नगर में दिल्ली का दल कभी भी आ सकता है। बताया जाता है कि जिले के अन्य निकायों में सर्वेक्षण का कार्य हो भी चुका है। इस साल कोरोना के कारण जनवरी में प्रस्तावित सर्वेक्षण कार्य को मार्च तक बढ़ाया गया था। चूंकि मार्च में फेर कोरोना मुंह बाए खड़ा हो गया है, इसलिए सर्वेक्षण के फिर टलने की उम्मीद भी जताई जा रही है।

नगर निगम मार्च में सर्वेक्षण शुरू होने की उम्मीद में तैयारियां कर रहा है। आयुक्त श्री झारिया का कहना है कि दिल्ली का दल कभी भी आ सकता है, इसलिए पूरे अमले को सक्रिय कर रखा है। इस बार सर्वेक्षण को लेकर शहर में काफी वातावरण बना है। इससे उन्हें इस बार सर्वेक्षण के परिणाम अच्छे मिलने की उम्मीद है। नगर निगम ने सर्वेक्षण से पहले शहर के आधे से अधिक वार्डों को जीरो वेस्ट घोषित किया है। 49 वार्डों में से शहर के जिन वार्डों को जीरो वेस्ट बनाया गया है, उनमें वार्ड क्रमांक 1, 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45 और 46 शामिल है। इन वार्डों में महिला स्व सहायता समूह की सदस्याएं घर-घर से कचरा इकट्ठा कर रही हैं। गीले कचरे को ट्रेंचिंग ग्राउंड ले जाया जा रहा है, जबकि सूखे कचरे को महिलाएं वार्ड स्तर पर अलग-अलग कर कबाड़ियों को बेचकर मुनाफा कमा रही हैं। आयुक्त श्री झारिया ने अप्रैल तक सभी 49 वार्डों को जीरो वेस्ट बनाने का लक्ष्य रखा है।

सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम का अमला शहर में लगातार सक्रिय है। अमले द्वारा गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों और अन्य लोगों पर जहां जुर्माना किया जा रहा है, वहीं लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इससे जुर्माने के रूप में नगर निगम को प्रतिदिन हजारों रुपए की आय हो रही है। वहीं कर्मचारियों का वेतन काटने और अन्य कार्यवाही से बचत भी हो रही है। कुछ कर्मचारियों के खिलाफ निगम आयुक्त सेवा समाप्ति की कार्यवाही भी कर रहे है। सर्वेक्षण की तैयारियों में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों का शहरवासियों द्वारा सम्मान भी किया जा रहा है। इससे नगर निगम में सर्वेक्षण को लेकर सारे कर्मचारी गंभीर नजर आ रहे है।

लॉकडाउन 8 बजे से करने के अधिकार कलेक्टरों को सौंपे

कोरोना रोकने घर में होली

4 और शहर; रतलाम, खरगोन, बैतूल और छिंदवाड़ा में भी

रविवार लॉकडाउन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम में भी रविवार को लॉकडाउन रहेगा। यह फैसला कैबिनेट के बाद मंत्रालय में बुधवार को देर शाम कोरोना को लेकर की गई आपात बैठक में किया गया है। सरकार ने यह निर्णय होली, ईद सहित अन्य त्योहार के मद्देनजर भी किया है। यह व्यवस्था भोपाल, इंदौर और जबलपुर में पहले से है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों से कोरोना को लेकर चर्चा की। इसके बाद चुनिंदा अफसरों के साथ ज्यादा संक्रमण वाले जिलों की स्थिति जानी। अंत में तय किया कि चार और शहरों में रविवार को लॉकडाउन किया जाए। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक अब कुल 7 शहरों में लॉकडाउन रहेगा।

सरकार ने रात 10 बजे की बजाए 8 बजे से लॉकडाउन करने की छूट कलेक्टर को दे दी है। कलेक्टर स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से 8 बजे से लॉकडाउन का निर्णय कर सकेंगे। भोपाल और इंदौर में इसके आसार बन गए हैं।

हमीदिया अस्पताल: मंत्री के सामने ही टूटी गाइडलाइन

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बुधवार को हमीदिया अस्पताल का जायजा लेने गए तो गाइडलाइन टूट गई। मंत्री इमरजेंसी वार्ड में कोरोना मरीज का हाल पूछने पहुंचे, तभी पीछे स्टाफ के साथ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के अधिकारी-कर्मचारियों ने उन्हें घेर लिया। बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी भी कोविड पेशेंट के इर्द-गिर्द घेरा बनाकर खड़े हो गए।

शिवराज बोले, संभल जाओ...

सीएम ने कहा, प्रयास है कि लॉकडाउन नहीं लगाना पड़े। उन्होंने जनता से अपील की कि गाइडलाइन का पालन करें। कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से कहा कि जन जागरुकता लाएं। सीएम ने यह भी कहा कि अस्पतालों में अभी पर्याप्त बेड हैं, लेकिन एडवांस बेड और इलाज के तमाम इंतजाम कर लें। वहीं, धर्म स्थलों को खुला रखने या बंद करने पर धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर क्राइसिस मैनेजमेंट समिति निर्णय करे।

अब गांवों में अलर्ट; बाहरी का रखें रेकॉर्ड

सरकार होली और ईद को लेकर भी अलर्ट है। गाइडलाइन में कहा गया है कि अन्य राज्यों से गांव लौटने वालों का रेकॉर्ड रखें। उनकी जांच नहीं हुई है तो सूचना तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, जनपद एवं जिला नोडल अधिकारियों को दी जाए। किसी को सर्दी, सूखी खांसी, तेज बुखार हो तो इलाज कराएं। उन्हें 14 दिन तक क्वॉरंटीन करें। इसकी जिम्मेदारी जिला पंचायत सीईओ को दी गई है।

लॉकडाउन में ये छूट

1 कोषालय और रजिस्ट्री कार्यालय 28 मार्च को खुले रहेंगे, इनके कर्मचारी या उपभोक्ता को छूट रहेगी।

2 अब 20 से ज्यादा प्रतिदिन औसत कोरोना के मरीज मिलने पर रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन पर पाबंदी।

3 आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, परीक्षाओं के लिए आवागमन।

4 20 से ज्यादा ही नए मामलों पर उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम, क्लब, सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल प्रतिबंधित।

5 शादी में 50 से ज्यादा और शव यात्रा में 20 से ज्यादा लोगों पर पाबंदी। इसे लेकर लोग चिंतित हैं।

दिल्ली से दी नसीहत: केंद्र सरकार ने होली और ईद को देखते हुए कोरोना संक्रमण के लिए स्थानीय स्तर पर कदम उठाने की नसीहत दी है। इसके तहत आगे कुछ और पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं।

राहत 24 लाख से ज्यादा का टीकाकरण

चिंता: 1700 के पार हुआ कोरोना का आंकड़ा

प्रदेश में कोरोना के मामलों का आंकड़ा 1700 के पार हो गया है। बुधवार को राज्य में 1712 नए संक्रमित मिले। इनमें इंदौर के 477, भोपाल के 385 और जबलपुर के 143 मरीज हैं। स्थिति को देखते हुए 10 हजार बेड आरक्षित किए हैं। सरकार टीकाकरण में तेजी ला रही है। अब तक 24 लाख से ज्यादा लोग कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। इनमें 2430942 को पहला डोज लगा है, जबकि 483481 को दोनों डोज लग चुके हैं। 1 अप्रेल से 45 की उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। हालांकि अभी इस संबंध में प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश नहीं मिले हैं।

रिकवरी से राहत

स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढ़ रही है। फरवरी और मार्च की तुलना करें तो अंतर साफ नजर आता है। रोजाना संक्रमित मरीजों की संख्या में ढाई गुना इजाफा हुआ है तो स्वस्थ होने वाले लोग भी दोगुने हो गए हैं।

फरवरी-मार्च की स्थिति

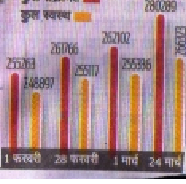

विधायक काश्यप के प्रयासों से सूरजमल जैन नगर का नगर निगम में होगा हस्तांतरण

गृह निर्माण मंडल ने 1 करोड़ 51 लाख का चेक सौंपा

दैनिक अवन्तिका ▸▸ रतलाम

विधायक चेतन्य काश्यप के निरंतर प्रयासों से तीन दशकों पूर्व अस्तित्व में आई सूरजमल जैन नगर कालोनी के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल ने अपनी इस कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए नगर निगम को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपकर हस्तांतरण अनुबंध कर लिया है। कॉलोनी के इस हस्तांतरण से 450 से अधिक रहवासी परिवारों को लाभ होगा।

गृह निर्माण मंडल द्वारा विकसित यह कालोनी वर्ष 1990 के बाद अस्तित्व में आई थी। इसके बाद इसमें धीरे-धीरे विकास कार्य किए गए। लेकिन नगर निगम में कालोनी का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था। विधायक चेतन्य काश्यप आरंभ से इस कालोनी में निवासरत लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रयासरत रहे। उन्होंने गृह निर्माण मंडल एवं नगर निगम अधिकारियों से चर्चा कर कालोनी हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करवाया। इसके परिणामस्वरूप गृह निर्माण मंडल कॉलोनी के ए ब्लाक में सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, पानी, सेप्टी टैंक एवं गार्डन आदि के कार्यों हेतु राशि देने को तैयार हो गया।

मंडल के अधिकारियों द्वारा नगर निगम अधिकारियों को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपे जाने के बाद विधायक काश्यप की उपस्थिति में बैठक हुई। इसमें कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए बनी कार्य योजना पर विचार कर जल्द निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए गए। ज्ञातव्य है कि तीन ब्लाकों में बटी इस कालोनी के बी एवं सी ब्लाक में समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा ए ब्लाक में ही विकास कार्य किए जाने है।

गृह निर्माण मंडल द्वारा कालोनी में कुल 457 भूखण्ड एवं भवन विकसित किए गए हैं। गृह निर्माण मंडल में वर्ष 2017 में विकास कार्य पूर्ण कर हस्तांतरण की पहल की थी लेकिन निगम विकसित ब्लाकों का हस्तांतरण ही करने पर राजी हुआ था। श्री काश्यप के प्रयासों से शेष कार्यों की राशि मिलने पर नगर निगम पूरी कालोनी का हस्तांतरण करने पर राजी हुआ। कॉलोनी हस्तांतरण के लिए गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन यंत्री एम.के. गुप्ता ने नगर निगम के सीटी इंजीनियर सुरेश व्यास को चेक सौंपा। इस दौरान गृह निर्माण मंडल के सहायक यंत्री ए.आर. मिस्त्री, सब इंजीनियर व्ही.एस. सिसोदिया, बी.एस. राठौर, अशोक कुमार पांचाल, नगर निगम के कार्यपालन यंत्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी आदि मौजूद रहे।

अवन्तिका

गृह निर्माण मंडल ने 1 करोड़ 51 लाख का चेक सौंपा

सूरजमल जैन नगर का निगम में होगा हस्तांतरण

450 से अधिक रहवासियों को होगा लाभ

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर विधायक चेतन्य काश्यप के निरंतर प्रयासों से तीन दशकों पूर्व अस्तित्व में आई सूरजमल जैन नगर कालोनी के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल ने अपनी इस कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए बुधवार दोपहर को नगर निगम को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपकर हस्तांतरण अनुबंध कर लिया है। कॉलोनी के इस हस्तांतरण से 450 से अधिक रहवासी परिवारों को लाभ होगा।

गृह निर्माण मंडल द्वारा विकसित यह कालोनी वर्ष 1990 के बाद अस्तित्व में आई थी। इसके बाद इसमें धीरे-धीरे विकास कार्य किए गए। लेकिन नगर निगम में कालोनी का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था। विधायक चेतन्य काश्यप आरंभ से इस कालोनी में निवासरत लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रयासरत रहे। उन्होंने गृह निर्माण मंडल एवं नगर निगम अधिकारियों से चर्चा कर कालोनी हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करवाया। इसके परिणामस्वरूप गृह निर्माण मंडल कॉलोनी के ए ब्लाक में सड़क सीवरेज, ड्रेनेज, पानी, सेप्टी टैंक एवं गार्डन आदि के कार्यों हेतु राशि देने को तैयार हो गया।

पत्रिका

पहले चेक दिया फिर हुई बैठक

मंडल के अधिकारियों द्वारा नगर निगम अधिकारियों को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपे जाने के बाद विधायक काश्यप की उपस्थिति में बैठक हुई। कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए योजना पर विचार कर जल्द निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए। ज्ञातव्य है कि तीन ब्लाकों में बंटी कालोनी के बी एवं सी ब्लाक में समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा ए ब्लाक में ही विकास कार्य किए जाने हैं। कालोनी में कुल 457 भूखण्ड एवं भवन विकसित किए गए हैं। गृह निर्माण मंडल में वर्ष 2017 में विकास कार्य पूर्ण कर हस्तांतरण की पहल की थी, लेकिन निगम विकसित ब्लाकों का हस्तांतरण ही करने पर राजी हुआ था। विधाकय काश्यप के प्रयासों से शेष कार्यों की राशि मिलने पर नगर निगम पूरी कालोनी का हस्तांतरण करने पर राजी हुआ।

यह रहे उपस्थित

कॉलोनी हस्तांतरण के लिए गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन यंत्री एमके गुप्ता ने नगर निगम के सीटी इंजीनियर सुरेश व्यास को चेक सौंपा। इस दौरान गृह निर्माण मंडल के सहायक यंत्री एआर मिस्त्री, सब इंजीनियर वीएस सिसोदिया, बीएस राठौर, अशोक कुमार पांचाल, नगर निगम के कार्यपालन यंत्री जीके जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी आदि मौजूद रहे।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–उपग्रह----पृष्ठ .33. दिनांक 25/03/...2021

विधायक काश्यप के नेतृत्व में शुरू हुआ 'मेरा मास्क-मेरी सुरक्षा' अभियान

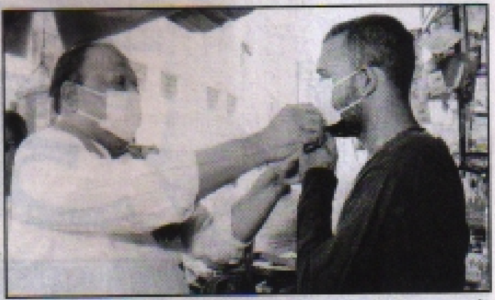

रतलाम। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के खिलाफ भाजपा ने सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को मुख्यमंत्री के आह्वान पर 'मेरा मास्क-मेरी सुरक्षा' अभियान की शुरुआत की। विधायक चेतन्य काश्यप के नेतृत्व में शहर में सुबह 11 बजे सायरन की आवाज के साथ सभी 2 मिनिट के लिए रुके और नागरिकों को मास्क के प्रति जागरूक किया। श्री काश्यप ने बिना मास्क लगाए व्यापार कर रहे व्यवसायी को मास्क पहनाया। उन्होंने मार्ग से गुजरने वाले लोगों को भी मास्क नहीं होने पर रोका और मास्क पहनाया।

श्री काश्यप ने आह्वान किया कि नागरिक खुद भी मास्क लगाए और दूसरों को भी प्रेरित करें। सरकार द्वारा इस दिशा में रोको-टोको अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष निलेश गांधी, मयूर पुरोहित, आदित्य डागा, करणधीर्य बड़गोत्या, कृष्ण कुमार सोनी, जिला कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा सहित विपिन पोरवाल आदि मौजूद रहे।

विधायक के प्रयासों से सूरजमल जैन नगर का नगर निगम में होगा हस्तांतरण

गृह निर्माण मंडल ने 1 करोड़ 51 लाख का चेक सौंपा

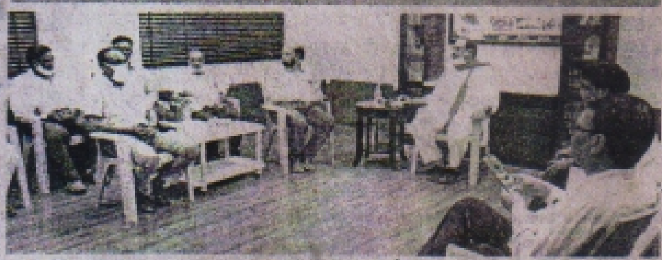

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

विधायक चेतन्य काश्यप के निरंतर प्रयासों से तीन दशकों पूर्व अस्तित्व में आई सूरजमल जैन नगर कॉलोनी के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल ने अपनी इस कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए नगर निगम को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपकर हस्तांतरण अनुबंध कर लिया है। कॉलोनी के इस हस्तांतरण से 450 से अधिक रहवासी परिवारों को लाभ होगा।

गृह निर्माण मंडल द्वारा विकसित यह कॉलोनी वर्ष 1990 के बाद अस्तित्व में आई थी। इसके बाद इसमें धीरे-धीरे विकास कार्य किए गए, लेकिन नगर निगम में कॉलोनी का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था। विधायक चेतन्य काश्यप आरंभ से इस कॉलोनी में निवासरत लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रयासरत रहे। उन्होंने गृह निर्माण मंडल एवं नगर निगम अधिकारियों से चर्चा कर कालोनी हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करवाया। इसके परिणामस्वरूप गृह निर्माण मंडल कॉलोनी के ए ब्लाक में सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, पानी, सेप्टी टैंक एवं गार्डन आदि के कार्यों हेतु राशि देने को तैयार हो गया।

मंडल के अधिकारियों द्वारा नगर निगम अधिकारियों को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपे जाने के बाद विधायक काश्यप की उपस्थिति में बैठक हुई। इसमें कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए बनी कार्य योजना पर विचार कर जल्द निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए गए। ज्ञातव्य है कि तीन ब्लॉकों में बटी इस कॉलोनी के बी एवं सी ब्लॉक में समस्त कार्य पूर्ण हो चुके है तथा ए ब्लॉक में ही विकास कार्य किए जाने है।

गृह निर्माण मंडल द्वारा कालोनी में कुल 457 भूखण्ड एवं भवन विकसित किए गए हैं। गृह निर्माण मंडल ने वर्ष 2017 में विकास कार्य पूर्ण कर हस्तांतरण की पहल की थी, लेकिन निगम विकसित ब्लॉकों का हस्तांतरण ही करने पर राजी हुआ था। श्री काश्यप के प्रयासों से शेष कार्यों की राशि मिलने पर नगर निगम पूरी कॉलोनी का हस्तांतरण करने पर राजी हुआ।

कॉलोनी हस्तांतरण के लिए गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन यंत्री एम.के. गुप्ता ने नगर निगम के सीटी इंजीनियर सुरेश व्यास को चेक सौंपा। इस दौरान गृह निर्माण मंडल के सहायक यंत्री ए.आर. मिस्त्री, सब इंजीनियर व्ही.एस. सिसौदिया, बी.एस. राठौर, अशोक कुमार पांचाल, नगर निगम के कार्यपालन यंत्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी आदि मौजूद रहे। प्रसारण

जिला चिकित्सालय में नई पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ शहर विधायक कश्यप और कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने किया

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

जिला चिकित्सालय में शहर विधायक चैतन्य काश्यप एवं कलेक्टर गोपालचंद्र डाड द्वारा नई पैथोलॉजी लैब का शुभारंभ किया गया। बुधवार को इस अवसर पर सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे, सिविल सर्जन डॉ. आनंद चंदेलकर, मनोहर पोरवाल, गोविंद काकानी, जिला क्षय अधिकारी डॉ. योगेश निखरा, पैथोलॉजिस्ट डॉ. राहुल पाटीदार आदि उपस्थित थे।

काश्यप ने बताया कि नई पैथोलॉजी लैब राज्य शासन द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सौगात है। इसके माध्यम से आमजन को अत्याधुनिक विशेष प्रकार की जांच सुविधा निःशुल्क प्राप्त हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके इसके लिए फील्ड से भी लोगों के सैंपल मंगाकर जांच कराई जाएगी ताकि उन्हें भी आवश्यक सुविधा प्राप्त हो सके। श्री काश्यप ने बताया कि रतलाम जिले में ब्लड डोनेशन मोबाइल वैन भी प्रारंभ की गई है, इसके माध्यम से एयर कंडीशन बस में लोगों के ब्लड डोनेशन की व्यवस्था सरलीकृत हो जाएगी तथा जिला चिकित्सालय में रक्त की कमी नहीं होगी।

कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड ने निर्देशित किया कि सभी आमजन को आवश्यक समस्त जांचों की व्यवस्था सुगमता से उपलब्ध कराई जाए। कार्यक्रम के दौरान विश्व क्षय दिवस के अवसर पर फ्लेक्स का विमोचन किया गया। विधायक श्री काश्यप ने लैपटॉप पर बटन दबाकर क्षय रोगियों के लिए 2 लाख रुपए की राशि सीधे अंतरित की। जिला क्षय अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश में रतलाम ऐसा पहला जिला है जहाँ उपलब्ध माइक्रोस्कोप में की जा रही जांच को सीधे लैपटॉप पर देखा जा सकता है एवं बैक्टीरिया की स्थिति पता की जा सकती है। विधायक एवं कलेक्टर ने स्वयं माइक्रोस्कोप में टीबी के बैक्टीरिया की स्थिति को देखा।

इस अवसर पर जिले की अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं को अत्याधुनिक माइक्रोस्कोप प्रदान किए गए। कलेक्टर श्री डाड ने क्षय रोगियों की वर्तमान स्थिति का संज्ञान लिया। जिलाधिकारी डॉ. योगेश नीखरा ने बताया कि वर्तमान में जिले में टीबी के लगभग 3000 मरीज उपचाररत है जिनका उपचार किया जा रहा है।

आपसी समझौते से होगा मामले का निराकरण

10 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत का आयोजन

प्रसारण न्यूज • रतलाम

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नालसा) एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 10 अप्रैल शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश/प्रदेश के साथ ही जिला न्यायालय रतलाम एवं तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना, आलोट में किया जाएगा।

उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु उमेश कुमार गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जि.वि.से.प्रा. रतलाम की अध्यक्षता में समस्त न्यायाधीशगणों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही उक्त समझौता योग्य प्रकरणों की सूची भी भेजने हेतु आदेशित किया गया।

इसके साथ ही साबिर अहमद खान, सचिव/अपर जिला न्यायाधीश द्वारा समस्त विभागों-बैंक, विद्युत विभाग, नगर पालिका, बीमा कंपनियों तथा अधिवक्तागणों की बैठकों का आयोजन ए.डी.आर. सेंटर जिला न्यायालय परिसर रतलाम में किया गया।

इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर सूचना पत्र जारी करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। मोटर क्लेम प्रकरण, एन.आई. एक्ट 138 के प्रकरण, विद्युत के लंबित प्रकरण एवं अन्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में आपसी समझौते द्वारा अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण के संबंध में न्यायाधीशगणों बीमा कंपनी के अधीकारीगणों तथा अधिवक्तागणों द्वारा अपने सुझाव प्रस्तुत किये गए।

समस्त आम् जन से अपील है कि अपने अधिवक्तागणों एवं न्यायालय के समक्ष प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण वातावरण में निराकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करें, जिससे कि न्यायालय में लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जा सके। उक्त लोक अदालत में यथा समय स्वीकृत दरों अनुसार पेनाल्टी, सरचार्ज व समझौता शुल्क में छूट का लाभ भी प्रदाय किया जावेगा।

प्रसारण

10 को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत

रतलाम● जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर 10 अप्रैल शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन देश-प्रदेश के साथ ही जिला न्यायालय रतलाम, तहसील न्यायालय जावरा, सैलाना तथा आलोट में किया जाएगा, जिसमें आपसी समझौते से मामलों का निराकरण होगा। सुश्री तिवारी ने बताया कि उक्त नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में समस्त न्यायाधीशों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लंबित समझौता योग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही साबिर अहमद खान, सचिव/अपर जिला न्यायाधीश द्वारा समस्त विभागों-बैंक, विद्युत विभाग, नगर पालिका, बीमा कंपनियों तथा अधिवक्तागणों की बैठकों का आयोजन एडीआर सेंटर जिला न्यायालय परिसर में किया गया। बैठक में आपसी समझौते द्वारा अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों के निराकरण के संबंध में न्यायाधीशगणों बीमा कंपनी के अधीकारीगणों तथा अधिवक्तागणों द्वारा अपने सुझाव प्रस्तुत किए गए।

लोक अदालत दस को

भोपाल। संपत्ति कर, जल कर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों की वसूली के लिए प्रदेश में अप्रैल से दिसम्बर 2021 तक चार लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। पहली लोक अदालत दस अप्रैल को लगेगी। अदालतों का आयोजन उन क्षेत्रों में नहीं होगा, जहां चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। अदालतों में करों के अधिभार में निर्धारित शर्तों के साथ छूट दी जाएगी। यह छूट वर्ष 2019-20 की बकाया राशि पर मात्र एक बार ही दी जाएगी।

कोरोना संकट • 56 नए पॉजिटिव, रतलाम में दो दिन में सामने आए 115 मरीज

अब रतलाम सहित बैतूल, खरगोन, छिंदवाड़ा में भी संडे को लॉकडाउन

रतलाम में संक्रमित 4980 कोरोना से 86वीं मौत

भास्कर न्यूज | रतलाम/भोपाल/नई दिल्ली

जिले में कोरोना संक्रमित तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार को 56 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। एक मौत भी हो गई है। अब कुल संक्रमित 4980 हो गए हैं। जिले में सिर्फ दो दिन में 115 मरीज सामने आ गए हैं।

प्रदेश में बेकाबू हो रहे संक्रमण पर रोक लगाने के लिए बुधवार को राज्य सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की हैं। अब रतलाम सहित बैतूल, छिंदवाड़ा, और खरगोन में भी हर रविवार को लॉकडाउन लगेगा, जो शनिवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके अलावा भोपाल-इंदौर में गुरुवार से सभी स्विमिंग पूल, क्लब, रेस्त्रां और सिनेमाघर फिर से बंद हो जाएंगे। यहां शादी समारोह में सिर्फ 50, जबकि अंत्येष्टि में 20 लोग ही जा सकेंगे। उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने पर भी पाबंदी रहेगी। लोग पार्सल ले जा सकेंगे। साथ ही भोपाल, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन और रतलाम में 31 मार्च तक स्कूल-कॉलेज पूरी तरह बंद करने के निर्देश दिए हैं। इन जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से कहा गया है कि वे चाहें तो शनिवार रात 8 बजे से लॉकडाउन लगा सकती है।

सात शहरों में यह छूट रहेंगी

औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन के साथ एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन आने व जाने वालों को भी लॉकडाउन से छूट। यहां 28 मार्च को कोषालय एवं रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे।

मुखर्जी नगर के व्यक्ति ने तोड़ा दम, मार्च में चौथी मौत

जिले में बुधवार को कोरोना से 86वीं मौत हो गई है। मुखर्जी नगर के 47 साल के व्यक्ति ने दम तोड़ा। जिले में अब तक कुल 86 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। मुखर्जी नगर के जिस व्यक्ति ने दम तोड़ा है, उन्हें 22 मार्च को ही भर्ती किया गया था। जिले में मार्च के महीने में चौथी मौत है। अब तक सितंबर के महीने में सर्वाधिक 20 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं।

राजीव गांधी सिविक सेंटर में कोरोना की जांच बंद

जिले में केस बढ़ते ही स्वास्थ्य विभाग स्टाफ की कमी से जूझना शुरू हो गया है। राजीव गांधी सिविक सेंटर स्थित तरणताल में बने कोरोना जांच केंद्र को बंद कर दिया गया है। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया मौजूदा स्थितियों में स्टाफ की कमी होने के कारण केंद्र का संचालन स्थगित किया है। जो भी जांच करवाना चाहते हैं, वे सीधे केंद्र पर पहुंचकर जांच करवा सकते हैं। जिले में बुधवार को 2550 लोगों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई है। जिले में अब कुल एक्टिव केस 366 हो गए हैं।

कोरोना की नई ऊंचाई: इस साल पहली बार 53,406 नए केस मिले

कोरोना का नया डबल म्यूटेंट, 18 राज्यों में तीन वैरिएंट के 771 केस

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह बताकर चौंका दिया है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना का नया 'डबल म्यूटेंट' वैरिएंट मिला है। वहीं 18 राज्यों में कोरोना के तीन वैरिएंट्स के 771 मामलों का पता चला है। इनमें 736 केस यूके वैरिएंट, 34 केस दक्षिण अफ्रीकी और 1 केस ब्राजीलियाई वैरिएंट का है। ये वैरिएंट राज्यों से मिले 10,787 पॉजिटिव सैंपल की जांच में सामने आए। पंजाब में ब्रिटेन स्ट्रेन के सर्वाधिक 336 मामले मिले हैं। उधर, बुधवार को देश में कोरोना के 53,406 नए केस मिले और 249 मौतें हुईं। नए मरीजों का इस साल एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है।

भास्कर एक्सपर्ट डॉ. आर. गंगाखेड़कर, पूर्व मुख्य वैज्ञानिक, आईसीएमआर

एक व्यक्ति के पॉजिटिव सैंपल में वायरस के दो तरह के बदलाव दिखना ही डबल म्यूटेंट

• डबल म्यूटेशन क्या है। यह घातक है?

एक व्यक्ति के पॉजिटिव सैंपल में दो तरह के म्यूटेशन दिखना ही डबल म्यूटेशन है। यह तब तक खतरनाक नहीं, जब तक पब्लिक हेल्थ पर असर न पड़े। हालांकि खतरा है कि यह तीसरे तरह के वैरिएंट में न बदले। इसलिए जीनोम सिक्वेंसिंग जरूरी है।

• नया स्ट्रेन, वैरिएंट किस स्टेज पर है?

दूसरी स्टेज पर। क्योंकि जो भी परिवर्तन हो रहा है, वह सिक्वेंसिंग में ही दिख रहा है। अभी तक के प्रमाणों से स्पष्ट है कि इससे संक्रमण की रफ्तार नहीं बढ़ रही है। शेष | पेज 7 पर

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश शासन के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण

शिवराज सरकार-भरोसा बरकरार...प्रदेश के नगरों का चहुँमुखी विकास जारी

रतलाम । किसी प्रदेश के शहर की समृद्धि और विकास की झलक ही उस प्रदेश के बारे में लोगों का माइंड सेट बनाती है। यह अतिश्योक्ति नहीं है कि मध्यप्रदेश देशवासियों ही नहीं, विदेशियों का भी यह माइंड सेट बनाने में सफल हुआ है, कि प्रदेश चहुँमुखी विकास कर रहा है। जापान का एक प्रतिनिधि इंदौर में एक सम्मेलन में शामिल होने आता है और वह सुबह इंदौर शहर का भ्रमण स्वास्थ्य के लिये नहीं, बल्कि कचरा ढूँढने के लिये करता है। जब इस बारे में पूछा जाता है, तो वह कहते हैं कि- लगातार 4 वर्ष से देश में स्वच्छता में नम्बर-एक पर रहने वाले शहर की स्थिति देखने गया था। मैं संतुष्ट हूँ। इस तरह प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शहरों का लगातार विकास हो रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में प्रदेश विगत वर्ष से एक पायदान ऊपर अब तीसरे स्थान पर है। भोपाल को देश की स्वच्छतम स्व-संवहनीय राजधानी का गौरव प्राप्त हुआ।

शहरी विकास की भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में पहली बार प्रदेश के चार शहर 10 लाख से अधिक जनसंख्या के शहरों में शीर्ष 20 में सम्मिलित हैं। सिर्फ स्वच्छ सर्वेक्षण में ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन में भी मध्यप्रदेश को देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इस योजना में मध्यप्रदेश में विभिन्न घटकों में कुल 7 लाख 99 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से अब तक कुल 2 लाख 87 हजार आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

मध्यप्रदेश ने ही पूरे देश में सबसे पहले प्रधानमंत्री के माध्यम से एक लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। आवास उपलब्ध कराने के लिये आवासीय भूमि का पट्टा भी भूमिहीन शहरी परिवारों को उपलब्ध कराया गया है। मलिन बस्ती के शहरी गरीबों को दी जाने वाली अनुदान राशि के बराबर ही गैर मलिन बस्ती के शहरी गरीबों को भी राज्य सरकार ने डेढ़ लाख रूपये का अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश स्मार्ट सिटी मिशनमें देश के 4 अग्रणी राज्यों में है। स्मार्ट

शहरी पेयजल

सरकार का दृढ़ निश्चय है कि सभी शहरों में नल से पानी दिया जाय। इसे मूर्तरूप देने के लिये 378 नगरीय निकाय की जल आवर्धन योजना को पूर्ण करने के लिये वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। नवगठित 29 नगरीय निकायों तथा नगरों के विस्तार/सीमावृद्धि के कारण पहले स्वीकृत पेयजल परियोजनाओं के अतिरिक्त कार्यों के लिये मुख्यमंत्री शहरी पेयजल परियोजना के दूसरे चरण की स्वीकृति दी जा रही है। सीवरेज की स्वीकृत 5354 करोड़ की 52 परियोजनाओं में से 2 परियोजनाएँ पूरी हो गयी हैं। शेष दिसम्बर 2022 तक पूरी करने का लक्ष्य है। ई-नगरपालिका सॉफटवेयर तैयार कर सभी नगरीय निकायों में लागू किया गया है। सभी म्यूनिसिपल सेवाएँ ऑनलाईन की गयी हैं। शहरों में ऑनलाईन भवन अनुज्ञा देने के लिये आटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम को लागू किया गया है।

आय में वृद्धि के लिए सुधार

नगरीय निकायों की राजस्व आय में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देश के क्रम में संपत्ति कर के अधिरोपण को कलेक्टर गाइड-लाइन से जोड़ा गया है। पेयजल, सीवरेज तथा ठोस

सुधारों के फलस्वरूप भारत सरकार ने प्रदेश की जीडीपी का 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण लिये जाने की स्वीकृति दी गई है। नगरीय निकायों की अचल संपत्तियों के अंतरण में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये वर्तमान प्रावधानों में संशोधन की तैयारी है।

अब राज्य सरकार ने अग्निशमन तथा लिफ्ट से संबंधित प्रावधानों को म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 में सम्मिलित किया है। अग्निशमन प्राधिकारी की केंद्रीयकृत व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत कर हुये कलेक्टर, आयुक्त नगर पालिक निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास को अग्निशमन प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना में 5 लाख 32 हजार पात्र शहरी पथ विक्रेताओं को चिन्हित किया गया है। अभी तक लगभग 3 लाख पथ विक्रेताओं को बैंकों द्वारा ऋण दिया जा चुका है।

दीनदयाल अन्त्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन में मध्यप्रदेश हमेशा अग्रणी राज्यों में रहा है। अब इस योजना को 407 नगरीय निकायों में विस्तारित किया गया है। शहरी गरीबों के करीब 27 हजार परिवारों को स्व-सहायता समूह से जोड़ा गया है। शहरी गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने की दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार 56 से 100 केन्द्रों में किया गया है। रात्रिकालीन 118 आश्रय-स्थलों का नवीनीकरण किये जाने का कार्य भी प्रगति पर है।

कोविड-19 में नगरीय निकायों की भूमिका

कोविड-19 महामारी से निपटने में राज्य के नगरीय क्षेत्रों में प्रभावी कार्य किया गया है। लॉकडाउन के समय निकायों ने सेनिटाईजेशन, भोजन प्रबंधन, पेयजल की निरंतरता आदि को बनाये रखकर कोविड के संक्रमण एवं दुष्प्रभाव को सीमित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

नगर तथा ग्राम निवेश

स्वामियों की हजारों हेक्टेयर बाधित भूमि नगरीय विकास के लिए उपलब्ध हुई। देवास एवं जबलपुर की एक-एक नगर विकास स्कीम को अनुमोदित किया गया। ओंकारेश्वर, डबरा, भोपाल, गुना, दतिया, भिण्ड, शिवपुरी, बुरहानपुर, मंदसौर, नागदा, उज्जैन, होशंगाबाद, दमोह, बैतूल, सिंगरोली, छतरपुर, खरगोन, रतलाम, सतना, सिवनी, नीमच तथा बैरसिया की विकास योजनाओं के प्रारूप प्रकाशित किये हैं, जो 10 माह की अल्प अवधि में सर्वाधिक संख्या है। जावरा नगर की विकास योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल

मण्डल अटल आश्रय योजना में 16 हजार 622 आवासीय इकाइयों का निर्माण कर रहा है। मण्डल की कुल 30 पुनर्घनत्वीकरण योजनाओं में से 2 योजना पूर्ण, 7 प्रगतिशील तथा शेष डी.पी.आर अथवा पी.पी.आर के स्तर पर हैं। विगत एक वर्ष में मण्डल द्वारा 20 आवासीय योजनाएँ पूरी कर 663 भवन/भूखण्ड निर्मित किये गये हैं। भोपाल शहर में आवासीय योजना में कोलनदेव टावर्स में 222 प्रकोष्ठ तथा तुलसी टावर में 99 प्रकोष्ठ भवनों का निर्माण पूरा किया गया है। इंदौर एवं भोपाल में आई.टी. पार्क का निर्माण किया गया है। मण्डल मुख्यालय में नवीन गुणवत्ता नियंत्रण एवं तकनीक प्रकोष्ठ का गठन किया गया। सभी आवंटियों के आनलाईन लीज एवं संपत्ति खातों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।

नगरीय विकास एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 5 रणनीतियों के विभागीय लक्ष्य निधारित किये हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। मार्च

प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला

6876 अवैध कॉलोनियां होंगी नियमित

नक्शे से 20% अधिक निर्माण फीस देकर केस सेटल करा सकेंगे, कार्रवाई सिर्फ कॉलोनाइजर पर होगी

दैनिक अवन्तिका ▸▸ भोपाल

मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 6 हजार से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्तावित बिल को मंजूरी दे दी गई। नियमितीकरण का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोग के अवैध मकान प्रक्रिया के तहत वैध हो जाने से उन्हें बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। कॉलोनी में नगरीय निकाय के जरिए सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मिलने लगेगी। यह भी तय किया है कि जिन मकानों में नक्शे से अधिक निर्माण किया है, उसमें 20% अधिक निर्माण की कंपाउंडिंग यानी समझौता शुल्क लेकर सेटल किया जाएगा। इससे अधिक निर्माण को तोड़ा जाएगा। सरकार अब विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करेगी। इसके बाद नियम बनाए जाएंगे, जिसमें अवैध कॉलोनी की कट ऑफ डेट, नियमित योग्य कॉलोनी में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कॉलोनाइजर और रहवासियों से कितनी राशि ली जाएगी यह तय किया जाएगा।

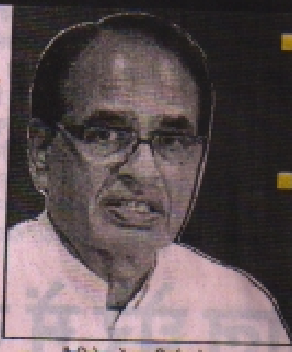

- अवैध कॉलोनी बनाने वालों को 7 साल तक की सजा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना
- इस बिल को अध्यादेश के माध्यम से प्रदेश में लागू किया जाएगा, इसके बाद नियम बनाएगी सरकार

1 कैबिनेट में हुए निर्णय के बारे में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, बिना अनुमति निर्माण करने पर कॉलोनाइजर अथवा बिल्डर के खिलाफ 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ऐसे प्रावधान नियमों में किए जाएंगे।

2 बता दें, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान घोषणा की थी, अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक 2021 प्रदेश में लागू किया जाएगा, लेकिन कोरोना के चलते बजट सत्र 10 दिन पहले स्थगित होने के कारण सरकार इसे पेश नहीं कर पाई थी।

3 दरअसल, अवैध कॉलोनियों को वैध करने में कई अड़चनें हैं, इसलिए नगरीय प्रशासन ने पेंडिंग नियमों को मोडिफाई कर नए एक्ट के ड्राफ्ट को मंत्रालय भेजा था। इससे पहले भी नियमों में परिवर्तन कर राज्य सरकार ने कुछ कॉलोनियों को वैध करार दिया था, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी।

4 प्रदेश में करीब 6876 अवैध कॉलोनियां हैं। ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर में ऐसी कॉलोनियां सबसे ज्यादा हैं। शिवराज सरकार अगर निकाय चुनाव से पहले इन्हें नियमित कर देती है, तो यह बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी घोषणा की थी, लेकिन सत्ता में वापस नहीं लौट पाए थे। कांग्रेस की सरकार में यह ठंडे बस्ते में चला गया था।

नक्शे स्वीकृत होंगे, बैंक से लोन मिल सकेगा

अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का संशोधित कानून लागू होने के बाद निर्मित मकानों के नक्शे स्वीकृत होंगे। साथ ही, लोग निर्माण के लिए बैंक से लोन भी ले सकेंगे। इन कॉलोनियों में कई प्लॉट अभी भी खाली पड़े हैं, क्योंकि नक्शा स्वीकृत नहीं होने के कारण बैंक से लोन नहीं मिल पाया था।

ये प्रावधान भी होंगे

- पहले अवैध कॉलोनी निर्माण के दौरान रहवासी को भी अभियुक्त बनाया जाता था, लेकिन नए कानून में सिर्फ कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई होगी।
- बिना अनुमति निर्माण करने पर कालोनाइजर अथवा बिल्डर के खिलाफ 7 साल [illegible] सजा और 10 लाख रुपए [illegible] जुर्माना होगा।
- यदि [illegible] ने यह राशि नहीं [illegible], तो बैंक गारंटी या फिर [illegible] कुर्क की जाएगी।
- नगर निगम के अफसरों की जवाबदेही भी तय की गई है। यदि अवैध निर्माण होता है तो संबंधित अफसर व कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

अवन्तिका।

समझाइश

मेरा मास्क-मेरी सुरक्षा अभियान में विधायक चेतन्य काश्यप ने किया आह्वान

जरूरतमंदों को मास्क मुहैया कराकर उसका महत्व बताएं

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के खिलाफ भाजपा ने सेवा संकल्प अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के आह्वान पर मेरा मास्क-मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। विधायक चेतन्य काश्यप के नेतृत्व में शहर में सुबह 11 बजे सायरन की आवाज के साथ सभी दो मिनट के लिए रुके और नागरिकों को मास्क के प्रति जागरूक किया। काश्यप ने बिना मास्क लगाए व्यापार कर रहे पान व्यवसायी को मास्क पहनाया।

स्टेशन रोड क्षेत्र में मास्क पहनाते हुए विधायक चेतन्य काश्यप। • नईदुनिया

उन्होंने मार्ग से गुजरने वाले अन्य कई लोगों को भी मास्क नहीं होने पर रोका और उन्हें मास्क पहनाया। काश्यप ने आम लोगों से आह्वान किया कि वे खुद भी मास्क लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। सरकार द्वारा इस दिशा में रोको-टोको अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत सक्षम लोगों को चाहिए कि वे जरूरतमंद लोगों को मास्क मुहैया कराकर उसका महत्व बताएं। इस दौरान मंडल अध्यक्ष नीलेश गांधी, मयूर पुरोहित, आदित्य डागा, करणवीर बड़गोत्या, कृष्ण कुमार सोनी, जिला कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा सहित विपिन पोरवाल आदि मौजूद रहे।

मंडियों में बांटे मास्क

मध्यप्रदेश शासन के आदेश अनुसार मेरा मास्क-मेरी 'सुरक्षा अभियान को आगे बढ़ाते हुए महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण में मंडी सचिव सत्यनारायण गोयल, पूर्व मंडी संचालक सुरेंद्रसिंह भाटी, सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र व्यास ने किसानों, व्यापारी, तुलावटी, हम्मालों को निशुल्क मास्क वितरण किया। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए शारीरिक दूरी का पालन करने की हिदायत दी गई।

इसी प्रकार लहसुन-प्याज मंडी प्रांगण सैलाना बस स्टैंड पर संघर्षशील लहसुन व प्याज मंडी युवा व्यापारी संघ द्वारा मेरा मास्क-मेरी सुरक्षा अभियान के अंतर्गत किसानों, व्यापारियों, हम्माल भाइयों को मास्क का वितरण किया गया। इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ संरक्षक मोहनलाल मुरलीवाला, अध्यक्ष नीलेश बाफना, पंकज अग्रवाल, पंकज जैन, अमित जैन, रितेश बाफना, गोपाल जैन, विनीत लुणावत, शादाब भाई, सुनील गोयल, भूपेंद्र जाधव, दिनेश पाटीदार, पप्पू उपाध्याय आदि व्यापारी उपस्थित थे।

ग्राहकों और दुकानदार ने नहीं पहने थे मास्क, दो दुकानें सील

रतलाम। मास्क नहीं पहनने और दुकान में ज्यादा भीड़ होने पर राजस्व अमले द्वारा बुधवार को कार्रवाई करते हुए दो दुकानों को सील कर दिया गया। कोर्ट चौराहा स्थित पोहावाला की दुकान और बाजार में पेटलावद ज्वेलर्स को 24 घंटे के लिए सील किया गया है। कलेक्टर गोपालचंद्र डाड के निर्देशन में मास्क का नहीं पहनने वालों के विरुद्ध अभियान जिले में सतत जारी रहेगा। कलेक्टर ने अपील की है कि सभी व्यक्ति मास्क अनिवार्य रूप से पहने, कोरोना के संक्रमण से बचें।

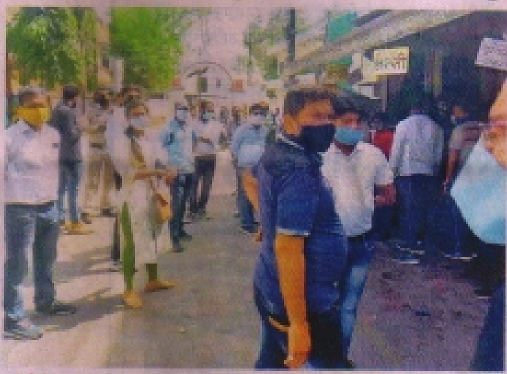

कोर्ट चौराहा पर कार्रवाई के लिए पहुंची प्रशासन की टीम। ● नईदुनिया

तरणताल स्थित फीवर क्लीनिक अभी बंद रहेगा

जिले में कोरोना संबंधी जांच के लिए सिविक सेंटर तरणताल पर सैंपल अब नहीं लिए जाएंगे। सीएमएचओ डा. प्रभाकर नानावरे ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में स्टाफ की कमी होने के कारण इस केंद्र का संचालन स्थगित किया गया है। जो भी हितग्राही कोविड-19 की जांच कराना चाहें वे सीधे जिला अस्पताल में उपस्थित होकर अपना कोविड-19 परीक्षण करा सकते हैं।

बुधवार को 2550 लोगों को लगाए टीके

जिले में बुधवार को 2550 हितग्राहियों को कोविड के टीके लगाए गए। बाल चिकित्सालय में 517 जावरा ग्रामीण के उप स्वास्थ्य केन्द्र उपलाई में 100 मेडिकल कालेज में 289 लोगों को टीके लगाए गए हैं। जिले के प्रधान न्यायाधीश उमेश कुमार गुप्ता ने भी सपत्निक टीका लगवाया। सीएमएचओ डा. प्रभाकर ननावरे ने बताया कि गुरुवार को टीकाकरण सत्रों के लिए 6680 लोगों को एक दिन में टीके लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। बुधवार तक जिले में 48550 लोगों को टीका लगाया जा चुका है।

नईदुनिया

एक की मौत और 56 नए पाजिटिव

रतलाम। बुधवार को 56 नए पाजिटिव आए, वहीं एक की मौत हो गई। 26 मरीजों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया। एक्टिव 366 हैं। मौत का आंकड़ा 86 पर पहुंच गया है। बुधवार को शास्त्री नगर, तेजा नगर, पीएनटी कालोनी, दौलतगंज, मनीष नगर, कस्तूरबा नगर, शिव विहार कालोनी, नवकार रेसिडेंसी, रत्नेश्वर रोड, शक्तिनगर, सज्जन मिल की चाल, लोहार पट्टी, सलीम अपार्टमेंट, काटजू नगर, वीर सावरकर मार्ग, दीनदयाल नगर, जवाहर नगर, चांदनी चौक, महावीर नगर, धीरज शाह नगर, राजेंद्र नगर, आफिसर कालोनी, नब्बी खाने के सामने पैलेस रोड, लक्ष्मी नगर, कृष्णा गली, लक्ष्मणपुरा, सिद्धांचलम, वेद व्यास कालोनी, इंद्रलोक नगर, कादान नगर, हाट की चौकी सहित कलोरी खुर्द, भाटी बड़ौदिया, जावरा, सरवन, बिलपांक, हरसौला, सैलाना, ढंढोड़िया, शिवगढ़ के व्यक्ति सम्मिलित हैं। मुखर्जी नगर निवासी 47 वर्षीय पुरुष को 22 मार्च को भर्ती किया था, उनकी उसी दिन मृत्यु हो गई।

नईदुनिया

गृह निर्माण मंडल ने नगर निगम को 1.51 करोड़ का चेक सौंपा

नईदुनिया

सूरजमल जैन कालोनी के हस्तांतरण को लेकर चर्चा करते हुए विधायक चैतन्य काश्यप आदि। ● नईदुनिया

रतलाम। विधायक चैतन्य काश्यप के प्रयासों से तीन दशकों पूर्व अस्तित्व में आई सूरजमल जैन नगर कालोनी के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मध्यप्रदेश गृह निर्माण व अधोसंरचना मंडल ने अपनी इस कालोनी के शेष विकास कार्यों के लिए नगर निगम को 1 करोड़ 51 लाख रुपये का चेक सौंपकर हस्तांतरण अनुबंध कर लिया है। कालोनी के इस हस्तांतरण से 450 से अधिक रहवासी परिवार लाभान्वित होंगे।

गृह निर्माण मंडल द्वारा विकसित यह कालोनी वर्ष 1990 के बाद अस्तित्व में आई थी। इसके बाद इसमें धीरे-धीरे विकास कार्य किए गए, लेकिन नगर निगम में कालोनी का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था। विधायक चैतन्य काश्यप आरंभ से इस कालोनी में निवासरत लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रयासरत रहे। उन्होंने गृह निर्माण मंडल व नगर निगम अधिकारियों से चर्चा कर कालोनी हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करवाया। इसके परिणामस्वरूप गृह निर्माण मंडल कालोनी के ए ब्लाक में सड़क, सीवेज, ड्रेनेज, पानी, सेफ्टी टैंक एवं गार्डन आदि के कार्यों हेतु राशि देने को तैयार हो गया।

मंडल के अधिकारियों द्वारा नगर निगम अधिकारियों को 1 करोड़ 51 लाख रुपये का चेक सौंपे जाने के बाद विधायक काश्यप की उपस्थिति में बैठक हुई। इसमें कालोनी के शेष विकास कार्यों के लिए बनी कार्य योजना पर विचार कर जल्द निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए गए। ज्ञातव्य है कि तीन ब्लाकों में बंटी इस कालोनी के बी व सी ब्लाक में समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा ए ब्लाक में ही विकास कार्य किए जाने हैं। गृह निर्माण मंडल द्वारा कालोनी में कुल 457 भूखंड व भवन विकसित किए गए हैं। गृह निर्माण मंडल ने वर्ष 2017 में विकास कार्य पूर्ण कर हस्तांतरण की पहल की थी, लेकिन निगम विकसित ब्लाकों का हस्तांतरण ही करने पर राजी हुआ था। काश्यप के प्रयासों से शेष कार्यों की राशि मिलने पर नगर निगम पूरी कालोनी का हस्तांतरण करने पर राजी हुआ। कालोनी हस्तांतरण के लिए गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन यंत्री एमके गुप्ता ने नगर निगम के सिटी इंजीनियर सुरेश व्यास को चेक सौंपा। इस दौरान गृह निर्माण मंडल के सहायक यंत्री एआर मिस्त्री, सब इंजीनियर वीएस सिसौदिया, वीएस राठौर, अ... कुमार पांचाल, नगर निगम के कार्य... यंत्री जीके जायसवाल, सहायक... श्याम सोनी आदि मौजूद रहे।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–उपग्रह–––––पृष्ठ 04 दिनांक 25/03/2021

तीन दशकों बाद सूरजमल जैन नगर के हस्तांतरण का रास्ता साफ

विधायक काश्यप के प्रयासों से होगा हस्तांतरण

रतलाम। विधायक चेतन्य काश्यप के निरंतर प्रयासों से तीन दशकों पूर्व अस्तित्व में आई सूरजमल जैन नगर कालोनी के नगर निगम में हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल ने अपनी इस कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए नगर निगम को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपकर हस्तांतरण अनुबंध कर लिया है। कॉलोनी के इस हस्तांतरण से 450 से अधिक रहवासी परिवारों को लाभ होगा।

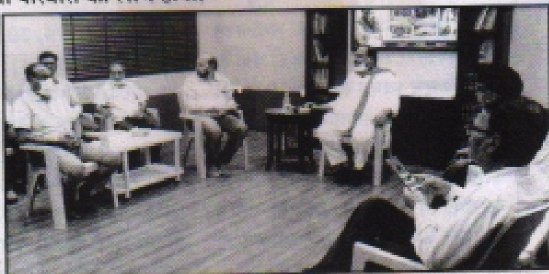

गृह निर्माण मंडल द्वारा विकसित यह कालोनी वर्ष 1990 के बाद अस्तित्व में आई थी। इसके बाद इसमें धीरे-धीरे विकास कार्य किए गए। लेकिन नगर निगम में कालोनी का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था। विधायक चेतन्य काश्यप आरंभ से इस कालोनी में निवासरत लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रयासरत रहे। उन्होंने सतत् गृह निर्माण मंडल एवं नगर निगम अधिकारियों से चर्चा कर कालोनी हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करवाया। इसके परिणाम स्वरूप गृह निर्माण मंडल कॉलोनी के ए ब्लाक में सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, पानी, सेप्टी टेंक एवं गार्डन आदि के कार्यों हेतु राशि देने को तैयार हो गया।

मंडल के अधिकारियों द्वारा नगर निगम अधिकारियों को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का चेक सौंपे जाने के बाद विधायक काश्यप की उपस्थिति में बैठक हुई। इसमें कॉलोनी के शेष विकास कार्यों के लिए बनी कार्य योजना पर विचार कर जल्द निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए गए। ज्ञातव्य है कि तीन ब्लाकों में बंटी इस कालोनी के बी एवं सी ब्लाक में समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा ए ब्लाक में ही विकास कार्य किए जाने हैं।

गृह निर्माण मंडल द्वारा कालोनी में कुल 457 भूखण्ड एवं भवन विकसित किए गए हैं। गृह निर्माण मंडल में वर्ष 2017 में विकास कार्य पूर्ण कर हस्तांतरण की पहल की थी लेकिन निगम विकसित ब्लाकों का

..शेष पृष्ठ 2 पर

पृष्ठ 1 का शेष तीन दशकों

हस्तांतरण ही करने पर राजी हुआ था। श्री काश्यप के प्रयासों से शेष कार्यों की राशि मिलने पर नगर निगम पूरी कालोनी के निगम को हस्तांतरण के लिए राजी हुआ।

कॉलोनी हस्तांतरण के लिए गृह निर्माण मंडल के कार्यपालन यंत्री एम.के. गुप्ता ने नगर निगम के सीटी इंजीनियर सुरेश व्यास को चेक सौंपा। इस दौरान गृह निर्माण मंडल के सहायक यंत्री ए.आर. मिश्री, सब इंजीनियर व्ही.एस. सिसोदिया, बी.एस. राठोर, अशोक कुमार पांचाल, नगर निगम के कार्यपालन यंत्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी आदि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान की धर्मगुरुओं, विभिन्न दलों और मीडिया प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील

बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जरूरी सावधानियां बरतें, सभी नागरिक उपायों को अपनाएं

प्रसारण न्यूज़ • भोपाल/रतलाम

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के दृष्टिगत धर्मगुरुओं, राजनीतिक दलों, विभिन्न संगठनों और मीडिया के मित्रों से जन-जागरूकता बढ़ाने में सहयोग देने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान इन वर्गों को पत्र लिखकर भी यह आग्रह कर रहे हैं कि मेरा मास्क-मेरी सुरक्षा और मेरी होली मेरे घर के अभियान में सहयोग प्रदान करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए यदि अन्य आवश्यक कदम उठाने होंगे, तो अवश्य उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा जागरूकता अभियान में सभी का सहयोग आवश्यक है। आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होती रहेंगी, लेकिन संक्रमण को रोकना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जहाँ एक और उपचार और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है वहीं नागरिकों के बीच यह संदेश पहुँचाया जा रहा है कि स्वयं के हित में, समाज के हित में, राज्य के हित में और देश के हित में फेस मास्क का अवश्य उपयोग करें। अन्य सावधानियों का भी पालन करें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बुधवार को कोरोना संक्रमण के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इसके अनुसार करीब 1700 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इंदौर में इनकी संख्या 450 और भोपाल में 385 है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी स्थानों विशेष रूप से इंदौर और भोपाल इन दोनों नगरों में आवश्यक सावधानियाँ अपनाना होंगी।

मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियां और निर्माण को वैध करने की कैबिनेट ने दी मंजूरी

भोपाल। नगरीय निकाय के चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अवैध कालोनियों और बिना अनुमति किए निर्माण वैध करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक के मसौदे का अनुमोदन किया गया। अब अवैध कालोनी काटने वाले के खिलाफ ही कार्रवाई होगी, रहवासी के खिलाफ आपराधिक मामले नहीं बनाए जाएंगे। अवैध कालोनी काटने पर तीन से सात साल की कैद और दस लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया अवैध कालोनी काटने की गलती कालोनाइजर करता है और दिक्कत रहवासी को होती है। अवैध कालोनियों में विकास कार्य नहीं हो रहे थे। अब तय किया गया है वैध करने के नियम नए सिरे से बनाए जाएंगे।

अवैध कालोनी को लेकर कोई कार्रवाई होने पर आपराधिक मामले में रहवासी को भी जोड़ा जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। जो कालोनाइजर अनुमति लेकर कालोनी बनाते हैं और पूरा विकास नहीं करते हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। ऐसी कालोनी का विकास कालोनाइजर की बैंक गारंटी वसूलकर करेंगे। राशि नहीं है तो आरक्षित भूखंड राजसात कर नीलाम किए जाएंगे। इससे भी राशि नहीं जुटती है तो कालोनाइजर की संपत्ति कुर्क करेंगे। अवैध कालोनियों की बिल्डिंग परमिशन को भी सरलीकृत किया है। नगर निगम या नगर पलिका के स्तर पर ले-आउट के नियमितीकरण के बाद रहवासियों को बिल्डिंग परमिशन उपलब्ध हो सकेगी। अभी तक भूखंड पर अनुमति लेकर जो निर्माण होता था, उसमें दस प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण को शुल्क लेकर नियमित किया जा सकता था, जिसे बढ़ाकर बीस प्रतिशत कर दिया है। आगे अवैध कालोनी का निर्माण न हो इसके लिए कालोनाइजर के साथ संबंधित क्षेत्र के अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी।

भिंड में सैनिक स्कूल के लिए तीन करोड़ रुपए

भिंड में सैनिक स्कूल के लिए पचास एकड़ भूमि आरक्षित की जा चुकी है। राज्य सरकार तीन करोड़ रुपये का प्रविधान बजट में करेगी, जिससे प्रारंभिक कार्य होंगे। भोपाल के गांधी मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल में भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के सहयोग से विशिष्ट सुविधाओं के विस्तार के लिए 316.96 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का निर्णय भी लिया गया।

प्रसारण

... 2021 में अब दोबारा अंदेशा

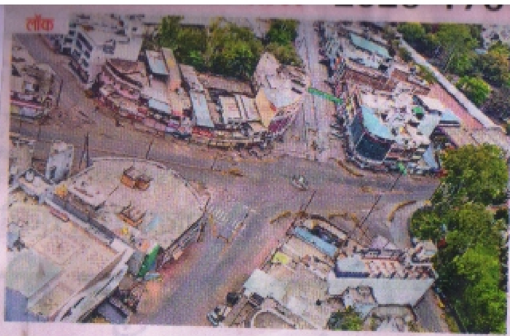

पहली तस्वीर

- यह तस्वीर लॉकडाउन में दो बत्ती क्षेत्र की है।
- इस दिन शहर में एक भी पॉजिटिव नहीं था।
- लॉकडाउन के दौरान 70 दिन तक हमारा शहर लॉक रहा था।
- शुरुआत 22 मार्च जनता कर्फ्यू से हो गई थी।
- अनलॉक 1.0 की शुरुआत 1 जून से हुई।
- 25 मार्च से दुकानों से किराना सामान की होम डिलीवरी की छूट मिली।

दूसरी तस्वीर

- दो बत्ती क्षेत्र की यह तस्वीर अब की है।
- आज पॉजिटिव 5 हजार के करीब हैं।
- बाजार में वाहनों की आवाजाही है, सख्ती के कारण लोग मास्क भी पहनने लगे हैं।
- अब एक बार फिर लॉकडाउन की आशंका बनी हुई है।
- धारा-144 लागू है, दुकानें रात में बंद होने के आदेश आ चुके हैं।

फोटो-पिंटू मेहता, बंटी शर्मा

600 सैंपल लेने का है टारगेट • नवंबर में कोरोना पीक पर था तब 750 लोगों के हुए थे सैंपल, 18 मार्च को सबसे ज्यादा 707 लोगों की हुई है जांच

एक साल पहले एक दिन में 4 सैंपल ले रहे थे, अब जल्द 900 लेंगे, रहें सावधान क्योंकि सैंपल बढ़ते ही संक्रमित भी बढ़ेंगे

लॉकडाउन का एक साल

भास्कर संवाददाता | रतलाम

बुधवार को लॉकडाउन को एक साल पूरा हो गया। 25 मार्च 2020 को हमारे शहर में कोरोना का एक भी मरीज नहीं था, लेकिन 4 मरीजों के सैंपल ले लिए थे। आज स्थिति खराब है... 5 हजार के करीब पॉजिटिव आ चुके हैं। इधर, अब तक एक दिन में 600 सैंपल लेने का टारगेट है लेकिन अब इस टारगेट को 900 तक ले जाने की तैयारी की जा रही है। कोरोना के मामले में माना जाता है कि जितने ज्यादा सैंपल उतने ज्यादा ही पॉजिटिव। ऐसे में यदि सैंपल बढ़ते हैं तो पॉजिटिव बढ़ना तय है। हालांकि इससे संक्रमित को क्वारेंटाइन में मदद मिलेगी।

12 मार्च से जिले में तेजी से बढ़ी कोरोना की चाल

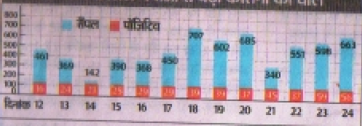

सैंपलिंग में बदलाव का पॉजिटिव मरीजों पर असर

- 25 मार्च तक 115 लोगों की स्क्रीनिंग हुई थी, इनमें से 4 लोगों के सैंपल लिए थे, मार्च अंत तक 11 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार था।
- जुलाई में जून के मुकाबले 67% ज्यादा सैंपलिंग की थी, 83.47% ज्यादा मरीज भी मिले थे। जून में 121 तो जुलाई में 228 संक्रमित सामने थे।
- अगस्त में सितंबर के महीने में 61.33% ज्यादा पॉजिटिव सामने आए थे। सितंबर में अगस्त के मुकाबले सैंपलिंग 7.6% बढ़ाई गई थी।
- अक्टूबर में मुख्य सचिव ने सैंपलिंग बढ़ाने का कहा था, 500 सैंपल एक दिन में लेने का कहा था।
- नवंबर में 551, 3 नवंबर को 541 लोगों के सैंपल लिए। इस महीने सर्वाधिक 1017 नए मरीज मिले थे।

सावधानियों का पालन करें

सैंपलिंग बढ़ा रहे हैं ताकि संक्रमण को समय पर रोका जा सके। लोगों को भी संभलना होगा। सावधानियों का पूरी तरह पालन करें और बीमार महसूस करते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

गोपालचंद्र डाड,
कलेक्टर, रतलाम

लक्षण नहीं छिपाएं

अभी 600 के आसपास सैंपल ले रहे हैं। आंकड़ा बढ़ाने की तैयारी है। यह अच्छा है, क्योंकि संक्रमण का पता चल सकेगा। लोगों से अपील है कि कुछ भी लक्षण सामने आए तो छिपाएं नहीं। यह हानिकारक हो सकता है।

डॉ. गौरव बोरीवाल,
एपेडेमियोलॉजिस्ट, रतलाम

ऑटोमोबाइल सेक्टर में रहा सबसे बड़ा बूम : कोरोना में इतनी कारें बिकीं की वेटिंग शुरू हो गई, अब कार खरीदने के लिए करना पड़ रहा है 1 से 3 महीने का इंतजार

रतलाम | कोरोना में सबसे ज्यादा किसी सेग्मेंट को फायदा हुआ है तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है। लॉकडाउन से ढाई महीने शोरूम बंद रहे। जब खुले तो इतनी कारें बिकी कि कारों में 1 से लेकर 3 महीने की वेटिंग शुरू हो गई है। कारों की बिक्री की बात करें तो बिक्री ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 1 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक 2,490 कारें बिकी थीं। वहीं 1 अप्रैल 2020 से 3,020 गाड़ियां बिकी हैं। बिक्री के आंकड़े जब आए हैं तब 22 मार्च से 31 मई तक ढाई महीने तक शोरूम बंद रहे। लेकिन खुले तो कारें खत्म हो गईं व हालत यह रही कि धनतेरस और दीपावली पर गाड़ियां ही नहीं मिलीं।

प्रताप नगर में कार की होम डिलीवरी देते कंपनी के कर्मचारी।

इसलिए बिकी ज्यादा कारें

- बसें, ट्रेनें सहित अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहना। इससे आने जाने में दिक्कत होना। अपडाउनरों को भी नौकरी में आने जाने में दिक्कत हुई। इससे गाड़ियां खरीद लीं। वहीं कई लोगों ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण देखते ने खुद का व्हीकल चुना।
- कंपनियों द्वारा होम डिलीवरी देना। ऐसे लोग जो शोरूम आने से डर रहे थे उन्हें कंपनियों ने ऑनलाइन बुकिंग पर घर जाकर कार दी।

कोरोना में बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूट गए : पटेल मोटर्स के जीएम विष्णु सविता ने बताया लॉकडाउन लगा था तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की चिंता बढ़ गई थी। अब क्या होगा। लेकिन कोरोना काल में उल्टे बिक्री बढ़ गई। ट्रेनें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहने से लोगों का रुझान कारों की खरीदी की तरफ रहा। सालभर में इतनी गाड़ियां बिकी की सारे रिकॉर्ड ही टूट गए।

विधायक बोले जल्द भोपाल से मिलेगी मंजूरी

एयरपोर्ट की राह हुई आसान, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पत्र भेज रखी मांग

रतलाम. शहर में एयरपोर्ट का निर्माण हो व हवाई जहाज की सुविधा महानगर जाने के लिए मिले इसके लिए गति हुई है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इसके लिए आवाज उठाते हुए नागरिक व उड्यन मंत्रालय को मांगपत्र भेज दिया है। मामले में शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने भोपाल में प्रस्ताव बनाकर भेजा है, जिसमे जल्दी मंजूरी का दावा किया जा रहा है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ कंट्रोल इंदौर के सदस्य 2020 में कोरोना काल के दौरान बंजली में निरीक्षण कर चुके है। इसके बाद जो प्रस्ताव बनाया गया था उसको मंजूरी दे दी गई थी। इसके लिए जरूरी भूमि का अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। इन सब के बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी का दल दो बार आकर बंजली स्थित हवाई पट्टी का निरीक्षण कर चुका है। इसके बाद रन वे के लिए अधिक भूमि की मांग करते हुए अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव दिया जा चुका है। हाल ही में इंदौर में जब एयरपोर्ट अथॉरिटी की बैठक हुई थी, तब इस बात पर बल दिया गया था कि रतलाम से चेंबर ऑफ कॉमर्स व शहर विधायक पहल करें तो जल्दी मंजूरी मिल जाएगी।

यह मांग की चैंबर ऑफ कॉमर्स ने

चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एयरपोर्ट की जरूरत बताते हुए नागरिक उड्यन मंत्रालय को मांग पत्र भेजा है। न सिर्फ रतलाम बल्कि आसपास के जिलों के कारोबारियों की जरूरत को आधार बताकर हवाई पट्टी की मांग की गई है। शहर का मुख्य कारोबार सोना, चांदी कपास, फल फूल तो है ही इसके साथ साथ साड़ी व सेव के कारोबार में भी प्रसिद्ध है। करोड़ों रुपए का टर्न ओवर इन कारोबार में होता है। एसरपोर्ट की मांग को मंजूर किया जाए।

शहर की कारोबार के विस्तार व आने वाले समय में 1800 हैक्टेयर भूमि पर होने वाले औद्योगिक विकास को देखते हुए हवाई सेवाओं की जरुरत है। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। जल्दी ही इसकी मंजूरी मिल जाए यह प्रयास जारी है। - **चेतन्य काश्यप**, शहर विधायक

लंबे समय से शहर में एयरपोर्ट की मांग हो रही है। यहां से बीमार हो या कारोबारी सभी को महानगर में जाना होता है। इसके लिए इंदौर जाना पड़ता है, बजाए इसके शहर को यह सुविधा मिले तो औद्योगिक व व्यवसाय दोनों तरक्की जल्दी व अधिक होगी। - **कांतिलाल छाजेड़**, अध्यक्ष चैंबर ऑफ कॉमर्स

पत्रिका

अवैध कालोनियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही प्रारंभ

रतलाम। नगर पालिक निगम रतलाम द्वारा शहर में बन रही अवैध कॉलोनियों तथा इनके कॉलोनाईजरों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा लगभग 25 कॉलोनाईजरों को नोटिस दिए गए है। इन अवैध कॉलोनियों की मैदानी जांच हेतु राजस्व विभाग जिला प्रशासन रतलाम व नगर पालिक निगम रतलाम के इंजीनियरों के संयुक्त दल का गठन किया गया है।

अवैध कॉलोनियों में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही इनके कॉलोनाईजरों के विरूद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय अपराध होने से कारावास एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही हेतु पुलिस प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। 22 मार्च को दल द्वारा डोंगरा नगर के पीछे की तरफ बन रही अवैध कॉलोनी की सड़कों पर जेसीबी चलाकर उखाड़ा गया, वहीं अवैध रूप से बन रहे भवनों की निर्माण सामग्री जब्त की गई। कॉलोनाईजर तथा भवन निर्माण के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही भी प्रचलित कर दी गई है। अवैध बने मकानों को भी ध्वस्त किया जाएगा। निगम व जिला प्रशासन की इस मुहिम के अन्तर्गत वर्तमान मे प्रकाश मे आयी सभी अवैध कॉलोनियों व उनके कॉलोनाईजरों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर पुलिस प्राथमिकी व दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

प्रसारण

25 से अधिक अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई प्रारंभ

दैनिक

रतलाम ● नगर पालिक निगम द्वारा शहर में बन रही अवैध कॉलोनियों तथा इनके कॉलोनाइजरों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने की कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा लगभग 25 कॉलोनाइजरों को नोटिस दिए गए हैं। इन अवैध कॉलोनियों की मैदानी जांच हेतु राजस्व विभाग जिला प्रशासन रतलाम व नगर पालिक निगम के इंजीनियरों के संयुक्त दल का गठन किया गया है। अवैध कॉलोनियों में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही इनके कॉलोनाइजरों के विरुद्ध नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय अपराध होने से कारावास एवं अर्थदंड की कार्रवाई के लिए पुलिस प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी। दल द्वारा डोंगरा नगर के पीछे की तरफ बन रही अवैध कॉलोनी की सड़कों पर जेसीबी चलाकर उखाड़ा गया तथा वहीं अवैध रूप से बन रहे भवनों की निर्माण सामग्री जब्त की गई। कॉलोनाइजर तथा भवन निर्माण के विरुद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई भी प्रचलित कर दी गई है। अवैध बने मकानों को भी ध्वस्त किया जाएगा। निगम व जिला प्रशासन की इस मुहिम के अंतर्गत वर्तमान में प्रकाश में आई सभी अवैध कॉलोनियों व उनके कॉलोनाइजरों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर पुलिस प्राथमिकी व दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कैबिनेट फैसले 6876 अवैध कॉलोनियों के लाखों लोगों को फायदा

अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, किसी ने बनाई तो सीधे जेल

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. निकाय चुनाव से पहले सरकार ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मंजूरी दे दी है। इससे राज्य में 6876 अवैध कॉलोनियां अब वैध हो सकेंगी। इनके विकास के लिए कॉलोनाइजर की संपत्ति कुर्क करने का नियम होगा। यदि वापस कोई नई कॉलोनी बनती है तो संबंधित कॉलोनाइजर पर जेल, जुर्माना और कुर्की की कार्रवाई होगी। अफसर पर भी सख्ती की जाएगी। साथ ही यदि कोई अनुमति लेकर कॉलोनी बनाता है और सही विकास नहीं किया तो भी कार्रवाई होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलग से नियम जारी होंगे।

मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि अवैध कॉलोनी के मामले में रहवासी पर आपराधिक प्रकरण नहीं बनेगा, कॉलोनाइजर जिम्मेदार हो...

यहां जानिए बड़े सख्त कदम

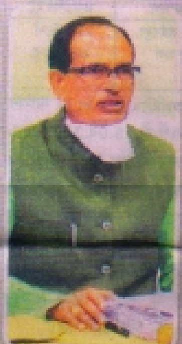

- ऐसी कॉलोनी का विकास शुल्क पूर्व से जमा बैंक गारंटी से वसूला जाएगा। गारंटी खत्म तो प्लॉट को राजसात कर कुर्की होगी। कॉलोनाइजर की निजी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी।
- कॉलोनाइजर को अवैध कॉलोनी बनाने पर तीन से सात साल तक सजा। 10 लाख रुपए जुर्माना।
- अवैध कॉलोनी की बिल्डिंग परमिशन को सरल किया है। इसमें नगर निगम या पालिका स्तर पर लेआउट का नियमितीकरण किया जाएगा। इसके बाद बिल्डिंग परमिशन दी जाएगी।

ये भी निर्णय: भिंड में सैनिक स्कूल की मंजूरी, 50 एकड़ जमीन चिन्हित की। सौ करोड़ की लागत से बनेगा। वहीं, गांधी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए 316 करोड़ की प्रशासकीय मंजूरी भी दी। सागर मेडिकल कॉलेज में वाइरल रिसर्च डायगोस्टिक लैब की स्थापना होगी।

रात 2 बजे तक शराब पिलाने मंजूरी

होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट और क्लब के लिए अतिरिक्त समय की मंजूरी के प्रस्ताव को भी हरीझंडी दी गई है। इसमें देसी मदिरा के लिए दो महीने अतिरिक्त दिए गए हैं। नई नीति दो महीने देरी से आना है। इस कारण अब देसी शराब दुकानों की दो महीने की अवधि बढ़ाई है। इसके अलावा बार-रेस्टोरेंट में अतिरिक्त दो घंटे की अवधि भी अतिरिक्त फीस देकर ली जा सकेगी। अभी रात 12 बजे तक अनुमति है। अब फीस देकर रात 2 बजे तक अनुमति मिल सकेगी।

पत्रिका

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार– सिंघम ––––पृष्ठ 30 दिनांक 24/03/2021

सायरन की आवाज के साथ कोरोना के विरुद्ध जनजागृति का संदेश दिया

कलेक्टर व एसपी ने सड़कों पर आकर बगैर मास्क पहने व्यक्तियों को समझाईश दी, पेनल्टी भी वसूली, मास्क भी दिए

सिंघम रिपोर्टर □ रतलाम

वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कदम उठाते हुए मंगलवार से रतलाम जिले में भी विशेष जागरूकता अभियान शुरू हुआ। प्रातः 11 बजे वाहनों से सायरन के साथ सभी 2 मिनट के लिए रुके और कोरोना के विरुद्ध जनजागरण का संकल्प लिया।

जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं आमजनों ने मास्क लगाकर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े होकर जिलेवासियों को संदेश दिया कि वैश्विक महामारी कोरोना फिर से पाँव पसार रही है इसलिए खुद भी मास्क लगाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। साथ ही सदैव एक-दूसरे से दो गज की दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को नियमित रूप से सेनेटाइज करें अथवा साबुन से धोते रहें। कोरोना के खात्मे के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। आयोजित हुए जनजागरण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधिगण तथा कलेक्टर गोपालचंद्र डाड, पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी, नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत बाकलवार, एसडीएम अभिषेक गहलोत, सीएसपी हेमंत चौहान, तहसीलदार श्रीमती अनीता चोकोटिया, संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष मनोज झालानी सहित अन्य अधिकारी एवं शहरवासी मौजूद थे।

इस अवसर प्रशासनिक अधिकारियों ने रतलाम शहर के डालूमोदी बाजार, माणकचौक, बजाज खाना, तोपखाना इत्यादि क्षेत्रों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किये। साथ ही उन्हें समझाया कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना नितांत जरूरी है। डालूमोदी बाजार में दाल बाटी की दुकान के सामने कलेक्टर तथा एसपी द्वारा अन्नपूर्णा दाल बाटी सेंटर पर पेंट से गोल घेरे अपने हाथों से बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दिया गया।

कलेक्टर बाजार की विभिन्न दुकानों में पहुंचे और दुकान संचालकों से चर्चा करते हुए मास्क लगाने की समझाईश दी। कलेक्टर तथा एसपी द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा, बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं में पहुंचकर प्रबंधकों, कर्मचारियों को मास्क पहनने की समझाईश दी गई। सिंघम 24

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार–दै.भास्कर–पृष्ठ 18 दिनांक 25/03/2021

सागोद रोड रेल पुलिया में पेंच • सेतु विकास निगम ने रेलवे को दे रखा ऑफर, मुख्य हिस्सा आप बनाओ

पटरी के ऊपर वाले हिस्से के निर्माण को लेकर अब सेतु विकास निगम और रेलवे में बढ़ी उलझन

भास्कर संवाददाता | रतलाम

बाजना बस स्टैंड से करोंद माता मंदिर तक का फोरलेन तो सालभर पहले बनकर हो चुका है, लेकिन इसके बीच आ रही सागोद रोड रेल पुलिया को चौड़ा करने का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है।

दरअसल, उलझन पटरी के ऊपर वाला करीब 54 मीटर लंबा हिस्सा बनाने को लेकर है। इसके लिए रेलवे सेतु विकास निगम को नक्शा दे चुका है। तकनीकी कारणों के चलते निगम चाहता है कि यह हिस्सा रेलवे बनाए। उसने रेलवे को ऑफर दे रखा है कि मुख्य हिस्सा आप बनाओ,- फंड निगम दे देगा। उधर रेलवे के अफसर साफ इनकार कर रहे हैं। बता दें कि पटरी के ऊपर वाले मुख्य हिस्से की चौड़ाई करीब 54 मीटर रहेगी, ताकि रेल विस्तार हो तो पुलिया चौड़ी न करना पड़े।

ऐसी बनना है रेल पुलिया

500 मीटर कुल लंबाई

21.20 मीटर चौड़ाई

54 मीटर पटरी का ऊपरी हिस्सा

25.27 करोड़ खर्च

होली बाद शुरू हो जाएगा काम

इन सबके बीच सेतु निगम ने मुख्य हिस्सा छोड़कर पुलिया के दोनों तरफ का काम शुरू करने की तैयारी कर ली है। होली के बाद अर्थवर्क शुरू भी हो जाएगा। यह काम गुजरात की रिपॉल कंस्ट्रक्शन करेगी। दोनों तरफ फोरलेन से जोड़ते हुए 456 मीटर लंबा एप्रोच रोड बनाना है। यह हिस्सा फोरलेन निर्माण के दौरान ऐसे ही छोड़ दिया गया था।

भास्कर

■ तकनीकी कारणों से रेलवे बनाए तो अच्छा रहेगा इसलिए हमने रेलवे को ऑफर दे रखा है कि आप बनाओ फंड हम दे देंगे। अभी रेलवे से जवाब नहीं आया है।

आरके गुप्ता, एसडीओ, सेतु विकास

■ जहां एलसी गेट बंद करना होता है, वहां के ब्रिज का मुख्य हिस्सा रेलवे बनाती है। उसके अनुसार वे पुलिया बनवा सकते हैं।

विनीत गुप्ता, डीआरएम

मेरी सुरक्षा - मेरा मास्क अभियान को जन अभियान बनाने के लिये मास्क वितरण और दुकानों के सामने गोले बनाये

सिंघम रिपोर्टर ❑ रतलाम

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आव्हान पर आज प्रातः 11 बजे सायरन कि आवाज के साथ म.प्र. जन अभियान परिषद जिला रतलाम कि नवांकुर संस्था प्रगति नेचुरल एण्ड सोशल डवलपमेंट सोसायटी रतलाम के द्वारा अलकापुरी चौराहे रतलाम पर मेरी सुरक्षा- मेरा मास्क अभियान को जन अभियान बनाने के लिये करते हुए हर व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग करने हेतु समझाईश दी गयी तथा बिना मास्क गुजरने वालों को निःशुल्क मास्क वितरित किये गये, सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिये दुकानों के आगे गोले बनवाये गये।

म.प्र. जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक रत्नेश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में कोरोना से मुक्ति के लिये जागरूकता अभियान कि शुरूआत हुई इस अभियान को सफल बनाने के लिये हर नागरिक को मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान से जुड़कर जिलें को कोरोना मुक्त बनाने के लिये मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन अवश्य करें। सिंघम - 24

कोरोना के विरुद्ध जनजागरूकता के लिए कलेक्टर, एसपी आए मैदान में

रतलाम। जिले में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए सोमवार से कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड तथा पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी स्वयं मैदान में आए। वाहनों से सायरन बजे और जहां भी बगैर मास्क पहने व्यक्ति पाए गए कलेक्टर श्री डाड एवं एसपी श्री तिवारी द्वारा उनके चालान स्थल पर खड़े रहकर बनवाए गए, पेनल्टी वसूली गई तथा 2-2 मास्क प्रदान किए गए। सि. 24

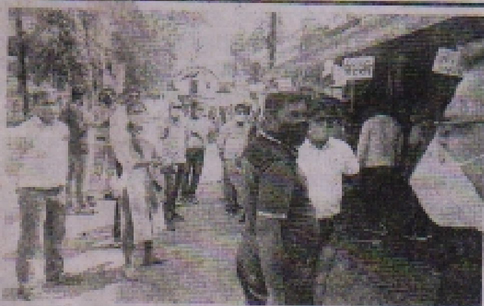

कोरोना नियमों की अनदेखी पर दो दुकानें 24 घंटे के लिए सील

रतलाम। कोरोना के चलते प्रशासन द्वारा जारी नियमों को पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर लगातार दल कार्रवाई कर रहा हैं। बुधवार को दल ने दो दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया। मास्क नहीं पहनने और दुकान में ज्यादा भीड़ होने पर राजस्व अमले द्वारा बुधवार को कार्रवाई करते हुए 2 दुकानों को सील कर दिया गया। इनमें कोर्ट चौराहा स्थित पोहावाला की दुकान और बाजार में पेटलावद ज्वेलर्स सम्मिलित है। दोनों दुकानें 24 घंटे के लिए सील कर दी गई है। कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड निर्देशन में मास्क का नहीं पहनने वालों के विरुद्ध अभियान जिले में सतत जारी रहेगा। कलेक्टर ने अपील की है कि सभी व्यक्ति मास्क अनिवार्य रूप से पहने, कोरोना के संक्रमण से बचें। सिंघम 24

तरणताल कोविड-19 जांच केंद्र की सेवाएं स्थगित

कोरोना संबंधी जांच के लिए सिविक सेंटर तरणताल पर जांच संबंधी सैंपल लिए जा रहे थे। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर नानावरे ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में स्टाफ की कमी होने के कारण उक्त केंद्र का संचालन स्थगित किया गया है।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रतिबंधित

कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो, चित्र, संदेश, सांप्रदायिक संदेश, उनकी फॉरवर्डिंग, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक संदेश, शादी करने एवं पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधि को प्रतिबंधित किया है।

२१५

जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिक ले रहे हैं बढ़-चढ़ कर हिस्सा

नगर के सभी वार्ड चरणबद्ध तरीके से बनेंगे जीरो वेस्ट वार्ड

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम गोपालचन्द डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 1, 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45 व 46 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। 22 मार्च की स्थिति में नगर के 22 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है रतलाम नगर को स्वच्छता में देश में नम्बर 1 बनाने के नागरिकों व निगम कर्मचारियों के उत्साह को देखते हुए 23 मार्च से वार्ड क्रमांक 40, 47, 48 व 49 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है आगामी एक सप्ताह में नगर के सभी वार्डों को चरणबद्ध तरीके से जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाकर संपूर्ण रतलाम नगर को जीरो वेस्ट नगर बनाया जायेगा।

मिल रहा सहयोग

निगम आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में जिन वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है उन वार्डों की सड़कों, गलियों एवं नालियों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरों, दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वंय गीले एवं सूखे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग किया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली किया जाकर रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टूटे खिलौने, प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित किया जा रहा है।

स्वच्छ अभियान : कहीं सर्वे तो नहीं हो रहा, माणकचौक में फोटो खींच रहे युवक को ही समझ लिया टीम

भास्कर संवाददाता | रतलाम

पांच माह से सफाई की सालाना परीक्षा की तैयारी कर रहा नगर निगम की अमला सर्वेक्षण को लेकर कितना अलर्ट है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण माणकचौक में देखने को मिला। दरअसल माणकचौक में एक युवक रोड के फोटो ले रहा था। उसे ऐसा करते देख निगम के किसी कर्मचारी ने सूचना दे दी कि स्वच्छ सर्वे हो रहा है। यह पता चलते ही स्वच्छता अमले और इंजीनियरों की टीम ताबड़तोड़ माणकचौक पहुंच गई। युवक से पूछा तो उसने बताया ऐसे ही फोटो खींच रहा था। किसी सर्वे टीम के साथ नहीं हूं। इसके बाद अमले ने राहत की सांस ली। अमला इसलिए भी परेशान है क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण की समय सीमा 6 दिन बाद खत्म हो रही है। अभी तक सर्वेक्षण टीम ने डॉक्यूमेंट्स तक चेक नहीं किए हैं। माना जाता है कि दस्तावेज चेक होने के एक या दो दिन में टीम सर्वे करने आ जाती है।

30 वार्ड जीरो वेस्ट हुए, अब 2, 6, 21 और 23 में काम शुरू - वार्ड का कचरा वार्ड में ही खत्म करने के लिए जीरो वेस्ट वार्ड अभियान चलाते हुए निगम ने अब तक शहर के 49 में से 30 वार्ड को जीरो वेस्ट कर दिया है। इनमें 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 व 49 शामिल हैं। मंगलवार से 2, 6, 21 व 23 को जीरो वेस्ट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यह काम स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं के सहयोग से किया जा रहा है। इससे 35 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार भी मिल गया है। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया जीरो वेस्ट वार्ड में कचरा कम निकलने लगा है। सड़क, गलियां व नालियों भी साफ रहने लगी है।

अंशुल ट्रेडर्स से 75 किलो पॉलीथिन जब्त, 2000 रुपए का जुर्माना -50 माइक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथिन व प्लास्टिक उपयोग करने पर निगम अमले ने अंशुल ट्रेडर्स श्रीमाली वास पर 2000 रुपए, सौरभ शहर सराय पर 500 रुपए, सुनील कृषि उपज मंडी पर 250 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया। दुकानों से 75 किलो पॉलीथीन भी जब्त की गई।

20 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा -बुधवार को चार जोन में 20 सफाई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं मिले। दरोगाओं ने इन्हें छुट्टी भी नहीं दी थी। इस पर आयुक्त सोमनाथ झारिया ने एक दिन का वेतन काटने का नोटिस दिया है। भास्कर

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार अवन्तिका –पृष्ठ 23 दिनांक 25/03/2021

प्रदेश में अब 7 शहरों में 'संडे लॉक' : कोरोना का खौफ बढ़ा, भोपाल-इंदौर के साथ

इस रविवार से बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में भी लॉकडाउन

दैनिक अवन्तिका ▶▶ देवास

मप्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 7 दिन में दो गुना हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1712 नए संक्रमित मिले हैं। बढ़ते मामलों से चिंतित प्रदेश सरकार ने आगामी रविवार से बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में भी साप्ताहिक लॉकडाउन का फैसला किया है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में पिछले संडे से ही इसे लागू किया जा चुका है। अब 28 मार्च, रविवार को 7 शहरों में लॉकडाउन रहेगा। यह व्यवस्था शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगी।

- हाईलेवल मीटिंग के बाद सीएम शिवराज ने लिया फैसला, लगातार बढ़ रहे केसों से चिंता
- प्रदेश में 7 दिनों में दो गुनी हुई कोरोना संक्रमण की रफ्तार, एक्टिव मरीज 10 हजार पार

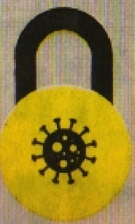

सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि खरगोन और बैतूल में 50 के ऊपर केस मिले हैं। भोपाल और जबलपुर में कोरोना केस में एक सप्ताह में 100% से ज्यादा वृद्धि हो चुकी है। सबसे चिंताजनक यह है कि एक्टिव केस 10 हजार के पार हो गए हैं।

बिगड़ते हालात को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था, "जिस तरह से कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। ऐसे में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों व धर्मगुरुओं को पत्र लिखकर सहयोग करने की अपील करूंगा।" उन्होंने बुधवार को सुबह एक समीक्षा बैठक की थी, फिर देर शाम उच्चस्तरीय बैठक में ये फैसले लिए गए।

सबसे ज्यादा इंदौर में 477 केस, भोपाल दूसरे नंबर पर

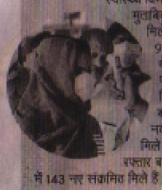

स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इंदौर में 477 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले पिछले साल 9 दिसंबर 495 केस सामने आए थे। इसी तरह भोपाल में 385 पॉजिटिव मिले। चार महीने 3 दिन बाद यह एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 20 नवंबर को भोपाल में 378 केस मिले थे। जबलपुर में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। यहां एक दिन में 143 नए संक्रमित मिले हैं। शेष पृष्ठ 2 पर

कोरोना मरीजों की संख्या अब 5 हजार के करीब पहुंची, मौत का आंकड़ा भी 86 पर आया

रतलाम में रविवार को रहेगा लॉकडाउन देर रात गृहमंत्री मिश्रा ने किया ट्वीट

कोर्ट चौराहा स्थित पोहावाला की दुकान और बाजार में पेटलावद ज्वेलर्स को किया सील

करंट इश्यू

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिले में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इसके चलते हालात एक बार फिर रविवार के लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। लॉकडाउन के संबंध में बुधवार रात प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर जानकारी दी। हालांकि इस संबंध में देर रात तक कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई। कलेक्टर का कहना था कि इस संबंध में अब तक कोई आदेश नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज से आई कोरोना जांच रिपोर्ट में 56 नए मरीज सामने आए जबकि एक और मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। रविवार का लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा।

रतलाम में कोरोना की रफ्तार दुगनी तेजी से बढ़ गई है जिसके चलते हैं यहां पर मरीजों का आंकड़ा 5 हजार के करीब पहुंच गया है। मेडिकल कॉलेज से मंगलवार को आई कोरोना जांच रिपोर्ट में रिकॉर्ड 59 मरीज सामने आए थे जिसके बाद बुधवार को भी 56 नए मरीज सामने आए। इसके अतिरिक्त पुराना से एक मौत भी हो गई। जिले में मौत का आंकड़ा बढ़कर 86 पर पहुंच गया है।

सराफा व होटल सील

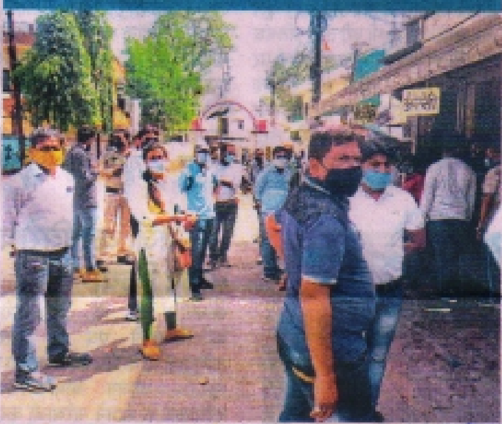

कोर्ट चौराहा स्थित पोहावाला की दुकान पर कार्रवाई की।

दो स्थानों पर कार्रवाई

मास्क नहीं पहनने और दुकान में ज्यादा भीड़ होने पर राजस्व अमले के अमले ने बुधवार को शहर में दो स्थानों पर कार्रवाई की। इस दौरान एक सराफा और एक चाय-नाश्ते की होटल को भी सील कर दिया गया। जिन दुकानों को सील किया गया है, उनमें कोर्ट चौराहा स्थित पोहावाला की दुकान और बाजार में पेटलावद ज्वेलर्स शामिल है। दोनों दुकानें 24 घंटे के लिए सील कर दी गई है। उक्त कार्रवाई कलेक्टर गोपालचंद डाड के निर्देशन में हुई।

पत्रिका

तरणताल फीवर क्लीनिक पर जांच बंद

कोरोना संबंधी जांच के लिए सिविक सेंटर तरणताल पर बनाए गए फीवर क्लीनिक को बंद कर दिया गया है। अब से पूर्व तक यहां पर कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे थे लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जब मरीजों की संख्या में फिर से इजाफा होने लगा है उस समय स्वास्थ्य विभाग ने स्टाफ की कमी बताते हुए केंद्र का संचालन स्थगित कर दिया है। अब हितग्राही कोविड-19 की जांच जिला चिकित्सालय में ही जाकर करा सकेंगे।

सख्ती बरतना शुरू

मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देख अब प्रशासन ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दी है। इसके तहत बाजार में बुधवार को भी पुलिस और प्रशासन का अमला सड़क पर घूमकर बिना मास्क वालों के साथ ही दुकानों पर भीड़ लगाने वालों पर कार्रवाई करता नजर आया। कोरोना के चलते बुधवार को रतलाम के मुखर्जी नगर निवासी 47 वर्षीय पुरुष की मौत की पुष्टि हुई है। उक्त व्यक्ति को 22 मार्च को भर्ती किया गया था और उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई।

जीर्णोद्धार तक जलकुंभी का दंश झेलेगा अमृत सागर तालाब

रतलाम। कहने को रतलाम के प्राचीन अमृत सागर तालाब के जीर्णोद्धार के लिए 22 करोड़ से अधिक बजट की झील संरक्षण की योजना स्वीकृत हो गई है, लेकिन वर्तमान में ये तालाब अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। तालाब का पूरा क्षेत्र जलकुंभी का शिकार है, जिसमें पानी का कहीं नामोनिशान नहीं बचा है। लगता है कि जीर्णोद्धार तक अमृत सागर को यूं ही जलकुंभी का दंश झेलना पड़ेगा।

अमृत सागर तालाब की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। पहले रतलाम कलेक्टर रही दिप्ती गौड़ मुखर्जी ने इसे झील संरक्षण योजना के तहत शामिल करवा कर विकसित करने की योजना बनवाई थी, लेकिन उसे राजनीतिक सहारा नहीं मिला। इससे वह योजना अधर में ही रह गई। बाद में विधायक चेतन्य काश्यप ने रुचि ली, तो नए सिरे से योजना बनी और उसे मंजूरी भी मिल गई। सवाल यह है कि योजना का क्रियान्वयन कब शुरू होता है। इस योजना के क्रियान्वयन के बाद तालाब की दशा बदलने की उम्मीद है, लेकिन तब तक क्षेत्रवासियों को इसकी दुर्दशा का ही दंश झेलना पड़ेगा।

गौरतलब है कि पिछले एक-दो दशक से हर वर्ष जलकुंभी के कारण अमृत सागर पर लाखों रुपए खर्च किए गए है। नगर निगम द्वारा हर वर्ष जलकुंभी निकालने का कार्य दिखावे के तौर पर एवं कथित भ्रष्टाचार के लिए कराया जाता था और जलकुंभी फिर निकल आती थी। इसके कारण तालाब ने अपना मूल स्वरूप ही खो दिया है। तालाब में पानी की जगह जलकुंभी होने से इसकी स्थिति हरे खेल मैदान जैसी नजर आ रही है। आगामी दिनों में जब तालाब के जीर्णोद्धार की योजना पर काम शुरू होगा तब उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में जब 22 करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी, तो इस तालाब की स्थिति बदल जाएगी।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार पत्रिका / नईदुनिया पृष्ठ 08 दिनांक 25/03/2021

कार्रवाई

गंदगी व पॉलीथिन का उपयोग करने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम. शहर में प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी है। बुधवार को कार्रवाई करते हुए श्रीमालीवास स्थित एक दुकान से 75 किलो पॉलीथीन जब्त किया गया है। दुकानदार के खिलाफ दो हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा तीन अन्य को गंदगी करते पाए जाने पर भी जुर्माना किया गया है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर अंशुल ट्रेडर्स श्रीमालीवास पर दो हजार, सौरभ शहर सराय पर 500 व सुनील कृषि उपज मण्डी पर 250 रुपये का स्पॉट फाईन किया गया। जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, झोन प्रभारी किरण चौहान व पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिन्दे, राकेश ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई।

इधर, बुधवार को 20 सफाई संरक्षकों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए है।

पत्रिका

अंशुल ट्रेडर्स पर दो हजार का जुर्माना

रतलाम। नगरीय क्षेत्र में 50 माइक्रान से कम मोटाई की पालीथिन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किए जाने के तहत कलेक्टर गोपालचंद्र डाड व निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। खुले में गंदगी करने व पालीथिन का उपयोग करने पर अंशुल ट्रेडर्स श्रीमालीवास पर 2000, सौरभ शहर सराय पर 500 व सुनील कृषि उपज मंडी पर 250 रुपये का स्पाट फाइन किया गया। जुर्माने की कार्रवाई प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह, जोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े, उपस्वच्छता निरीक्षक विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाश शिंदे, राकेश ललावत, मनोज झांझोट आदि द्वारा की गई।

अनुपस्थित 20 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

रतलाम। नगर निगम के चारों जोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान बुधवार को 20 सफाई संरक्षकों द्वारा बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए गए। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सभी का एक दिन का वेतन काटा जाकर अस्थायी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थायी कर्मचारियों को निलंबित किए जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

नईदुनिया

सर्वर डाउन • रजिस्ट्रार विभाग का सर्वर डाउन होने से लोगों को रजिस्ट्री में आ रही परेशानी

समय बढ़ाने की मांग : कोरोना संक्रमण के बीच अगले माह नई गाइडलाइन के कारण महंगी हो जाएगी जमीन

भास्कर संवाददाता | रतलाम

वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना खत्म होने में अब एक सप्ताह बचा है और अगले महीने से गाइडलाइन बढ़ जाएगी। इससे रजिस्ट्रार विभाग में रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है लेकिन आए दिन सर्वर डाउन रहने से परेशानी बढ़ गई है और रजिस्ट्री के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बुधवार को भी यही समस्या आई और सर्वर डाउन रहने से रजिस्ट्री के लिए लोग बस करने लगे। अफसरों का एक ही जवाब था कि यह रतलाम की समस्या नहीं है पूरे प्रदेश की समस्या है।

कांग्रेस के मंडलम अध्यक्ष राजेश प्रजापत ने बताया 15 मिनट में रजिस्ट्री होना चाहिए लेकिन ओसवालनगर के मकान नंबर 35 की रजिस्ट्री के लिए 48 घंटे से परेशान हो रहा हूं। रोज ही सर्वर डाउन रहता। जब सर्वर का पूछते हैं तो बोलते हैं गुरुवार को आना रजिस्ट्री हो जाएगी। व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। नहीं तो गाइडलाइन बढ़ जाएगी तो लोगों को नुकसान होगा।

इधर एक भी रजिस्ट्री बुक नहीं हो पाई

सर्वर डाउन रहने से रजिस्ट्रार विभाग में लगी लोगों की भीड़।

पंजीयन विभाग के साथ ही सर्विस प्रोवाइडर जिस सर्वर पर रजिस्ट्री बुक करते हैं वो भी डाउन रहा। जबकि मार्च के आखिरी में 100 से ज्यादा रजिस्ट्रियां रोज बुक होती हैं। जिला पंजीयक प्रभात वाजपेयी ने बताया पूरे प्रदेश में यही समस्या है। सर्वर डाउन रहने से मंगलवार को भी 25 रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी।

... इसलिए तारीख बढ़ाएं

आए दिन सर्वर डाउन रहने से सर्विस प्रोवाइडर संघ ने गाइडलाइन की छूट 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल करने की मांग की है। संघ के पदाधिकारियों ने जिला पंजीयक प्रभात वाजपेयी से भी चर्चा की। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष की आखिरी तारीख में अब सात दिन बचे हैं बैंक की भी छुट्टी रहेगी। इससे तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल की जाए। लोकेश शर्मा, निलेश गांधी, लखन पाटीदार, वीरेंद्र पतिलिया, अभय मूणत, महेंद्र शर्मा, सौरभ गांधी, अमित शर्मा सहित अन्य मौजूद थे।

निकाय चुनाव से पहले फैसला : नगर पालिका विधि संशोधन बिल मंजूर

6600 अवैध कॉलोनियां नियमित करने से पहले कॉलोनाइजर पर दर्ज होगी एफआईआर

भास्कर संवाददाता | भोपाल

मप्र की 6600 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का रास्ता साफ हो गया है। मप्र नगर पालिका विधि संशोधन विधेयक-2021 को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बिल में नया प्रावधान जोड़ा गया है कि अवैध कॉलोनी को नियमित करने की प्रक्रिया तब शुरू होगी, जब उसे बनाने वाले कॉलोनाइजर पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह एफआईआर नगर निगम का कमिश्नर दर्ज कराएगा। निकाय चुनाव में फायदा लेने के लिए राज्य सरकार नगर पालिका के नए नियमों को अध्यादेश के जरिए लागू कर सकती है। बिल में यह प्रावधान भी है कि जो कार्रवाई अवैध के संबंध में प्रस्तावित है, वही कार्रवाई उस कॉलोनाइजर पर भी होगी, जिसने वैध कॉलोनी तो बनाई हो, लेकिन उसमें सड़क, बिजली, पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। शेष | पेज 7 पर

रतलाम में 50 कॉलोनियां के रहवासियों को मिलेगी राहत

रतलाम में 50 अवैध कॉलोनियां वैध होंगी। शुरुआत प्रदेश में सबसे पहले रतलाम से 2014-15 में हुई थी। 17 कॉलोनियों के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। इनमें से 4 करोड़ रुपए के काम हो गए। दूसरी बार में 2018 में 33 कॉलोनियों को वैध किया था। इनकी वैधता कोर्ट ने निरस्त कर दी थी।

संकलन–नगर निगम, रतलाम अखबार- दै. भास्कर --पृष्ठ 03 दिनांक 25/03/2021

सूरजमल जैन नगर होगा नगर निगम को हस्तांतरित, गृह निर्माण मंडल ने सौंपा 1.51 करोड़ रुपए का चेक

450 से अधिक रहवासी परिवारों को मिलेगा लाभ

भास्कर संवाददाता | रतलाम

सूरजमल जैन नगर में विकास कार्य की योजना बनाते विधायक काश्यप व अन्य अधिकारी।

तीन दशक पहले बसाया गया सूरजमल जैन नगर अब कुछ ही दिनों में नगर निगम को हस्तांतरित हो जाएगा। कॉलोनी के रहवासियों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के लिए विधायक चेतन्य काश्यप ने इसके लिए प्रयास किए थे।

फलस्वरूप गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल ने कॉलोनी के बाकी विकास कार्यों के लिए 1.51 करोड़ का चेक नगर निगम को सौंप दिया है। साथ ही हस्तांतरण अनुबंध भी कर लिया है। इससे 450 से अधिक रहवासी परिवारों को लाभ होगा। कॉलोनी 1990 के दशक में बसाई गई थी। इसके बाद थोड़े-बहुत विकास कार्य तो हुए लेकिन नगर निगम में हस्तांतरण नहीं हो पा रहा था। विधायक काश्यप ने गृह निर्माण मंडल और निगम अधिकारियों से चर्चा कर कालोनी हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज करवाया। परिणामस्वरूप मंडल कॉलोनी के ए-ब्लॉक में सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, पानी, सेप्टिक टैंक और गार्डन बनाने के लिए राशि देने को तैयार हो गया। इसके बाद विधायक काश्यप ने निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों के लिए योजना बनाई।

इस अवसर पर गृह निर्माण मंडल कार्यपालन यंत्री एमके गुप्ता, नगर निगम सीटी इंजीनियर सुरेशचंद्र व्यास, सहायक यंत्री एआर मिस्त्री, सब इंजीनियर बीएस सिसौदिया, बीएस राठौर, अशोक कुमार पांचाल आदि उपस्थित रहे।

अवैध कालोनियां को वैध करने की कैबिनेट ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक के मसौदे का अनुमोदन

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। नगरीय निकाय के चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अवैध कालोनियों और बिना अनुमति किए निर्माण वैध करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक के मसौदे का अनुमोदन किया गया। अब अवैध कालोनी काटने वाले के खिलाफ ही कार्रवाई होगी, रहवासी के खिलाफ आपराधिक मामले नहीं बनाए जाएंगे। अवैध कालोनी काटने पर तीन से सात साल की कैद और दस लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा।

कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया अवैध कालोनी काटने की गलती कालोनाइजर करता है और दिक्कत रहवासी को होती है। अवैध कालोनियों में विकास कार्य नहीं हो रहे थे। अब तय किया गया है वैध करने के नियम नए सिरे से बनाए जाएंगे। अवैध कालोनी को लेकर कोई कार्रवाई होने पर आपराधिक मामले में रहवासी को भी जोड़ा जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। जो कालोनाइजर अनुमति लेकर कालोनी बनाते हैं और पूरा विकास नहीं करते हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। ऐसी कालोनी का विकास कालोनाइजर की बैंक गारंटी वसूलकर करेंगे। राशि नहीं है तो आरक्षित भूखंड राजसात कर नीलाम किए जाएंगे। इससे भी राशि नहीं जुटती है तो कालोनाइजर की संपत्ति कुर्क करेंगे। अवैध कालोनियों की बिल्डिंग परमिशन को भी सरलीकृत किया है। नगर निगम या नगर पालिका के स्तर पर ले-आउट के नियमितीकरण के बाद रहवासियों को बिल्डिंग परमिशन उपलब्ध हो सकेगी। अभी तक भूखंड पर अनुमति लेकर जो निर्माण होता था, उसमें दस प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण को शुल्क लेकर नियमित किया जा सकता था, जिसे बढ़ाकर बीस प्रतिशत कर दिया है। आगे अवैध कालोनी का निर्माण न हो इसके लिए कालोनाइजर के साथ संबंधित क्षेत्र के अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी।

भिंड में सैनिक स्कूल के लिए तीन करोड़ रुपये

भिंड में सैनिक स्कूल के लिए पचास एकड़ भूमि आरक्षित की जा चुकी है। राज्य सरकार तीन करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में करेगी, जिससे प्रारंभिक कार्य होंगे। भोपाल के गांधी मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल में भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के सहयोग से विशिष्ट सुविधाओं के विस्तार के लिए 316.96 करोड़ रुपये स्वीकृत करने का निर्णय भी लिया गया।